मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश –174310 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2017 से 31.12.2021

भाग–एक

1. प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)(ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (।)3–3/85–पार्ट–ii दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी जिला बिलासपुर के अवधि 1.1.2017 से 31.12.2021 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि में मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहे हैः–

(1) उपायुक्त जिला बिलासपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जीः–

क्र•	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर (भा• प्र• से•)	01.01.2017 से 06.01.2018
2	श्री विवेक भाटिया (भा• प्र• से•)	06.01.2018 से 03.06.2019
3	श्री राजेश्वर गोयल (भा• प्र• से•)	03.06.2019 से 20.10.2020
4	श्री रोहित जम्बाल (भा• प्र• से•)	21.10.2020 से 25.06.2021
5	श्री पंकज राय (भा• प्र• से•)	28.06.2021 से 31.12.2021

(2) उपमण्डल अधिकारी (ना•) श्री नयनादेवी जी एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जीः–

क्र•	अधिकारी का नाम	अवधि
1	डा• हरीश गज्जू (हि• प्र• से•)	01.01.2017 से 13.06.2017
2	श्री चेत सिंह (हि• प्र• से•)	14.06.2017 से 23.01.2018
3	श्री अनिल चौहान (हि• प्र• से•)	23.01.2018 से 09.07.2019
4	श्री सुभाष गौतम (हि• प्र• से•)	23.07.2019 से 18.09.2021
5	श्री योग राज (हि• प्र• से•)	20.09.2021 से 03.11.2021
6	श्री राज कुमार ठाकुर (हि• प्र• से•)	11.11.2021 से 31.12.2021

(3) मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जीः–

क्र•	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री मदन चन्देल	01.01.2017 से 31.01.2018
2	श्री दुर्गा दास यादव	21.04.2018 से 04.07.2019

3	श्री हुसन चन्द चौधरी	04.07.2019 से 16.06.2021
4	श्री जगदीश कुमार शर्मा	01.07.2021 से 06.08.2021
5	श्री विजय कुमार गौतम	06.08.2021 से 10.11.2021
6	श्री जगदीश कुमार शर्मा	11.11.2021 से 31.12.2021

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अंकेक्षण अवधि 1.1.2017 से 31.12.2021 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित हैः–

क्र0 सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	7.4.2	पुलिस प्राथमिकी में केस सम्पत्ति के रूप में पुलिस विभाग के पास जमा 80 ग्राम सोने के मुकुट को वपिस न छुड़वाना	––
2	7.5	दान में प्राप्त 2.016 ग्राम हीरे का लेखाँकन अनियमित रूप से करने बारे	––
3	7.6	दान में प्राप्त सोने के गहनों के वजन का लेखाँकन अनियमित रूप से करने बारे	––
4	7.10	गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेशित सोने के वजन में 06.341.910 किलोग्राम के अन्तर बारे	––
5	7.12	राजकीय कोषागार बिलासपुर में मन्दिर न्यास द्वारा मोहरबंद जमा मूल्यवान वस्तुओं का अभिलेख उपलब्ध न होना	––
6	9	फटे पुराने/कण्डम करन्सी नोटों को न बदलवाना	1.93
7	10.1	मन्दिर न्यास की दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	36.20
8	10.3	विविध प्रकार की नीलामियों तथा ठेके/किराये पर दी गई सम्पत्तियों का किराया वसूली हेतु शेष	4.56
9	13.1	332 सीमेन्ट बोरियों को निर्माण कार्य हेतु जारी न करने के कारण हानि	0.91
10	13.2	निर्माण कार्यों के बिलों से जल प्रभार (Water Charges) की कटौती न करना	4.87
11	14.1	मन्दिर न्यास द्वारा निक्षेप कार्य हेतु जारी अस्थाई अग्रिमों का दिनांक 31.12.2021 को समायोजन हेतु शेष पाया जाना	342.85

12	17.1.4	कोविड–19 महामारी के दौरान खाद्य सामग्री की खरीद के मूल बिलों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	3.54
13	17.2.1	इलैक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन द्वारा डिजिटल रसीदें जारी करने से पूर्व छपवाये गये अप्रयुक्त कूपनों का स्टॉक में शेष होना	21.73
14	17.3	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय से सेवानिवृत अचार्य को विशेष अवकाश नकदीकरण का अनियमित भुगतान करना	5.51
15	18.2	मिश्रित निधि से निवेश की गई राशियों को रोकड़ बही के शेष से बाहर करना	29.68

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

मन्दिर न्यास द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण के दौरान बार–बार अनुरोध करने पर न्यास प्रशासन द्वारा 17/12/1985 से लेकर 31/12/2016 तक के कुल 93 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से 79 पर अपेक्षित अनुपालना करके अंकेक्षण दल के पास सत्यापन करवाया गया। इन 79 निर्णीत करवाये गये अनुच्छेदों में से 28 अनुच्छेदों के सन्दर्भ में कुल ₹82,91,121/– की राशि की वसूली सुनिश्चित करवाई गई है। परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 14 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अवधि 01/01/2012 से 31/12/2016 तक के अब भी शेष बचे 14 अनिर्णीत अनुच्छेदों तथा उन पर अपेक्षित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2013

1	15	अंशतः निर्णीत	मातृछाया भवन के किराये की ₹811200/– की वसूली न करने बारे। इस प्रकरण में उपमण्डल ₹4,00,000/– की वसूली (₹3,05,900/– के चैक संख्या 700961 दिनांक 25.12.2018 + ₹50,000/– की प्रतिभूति राशि का समायोजन + श्री शीशपाल

			के पक्ष में मन्दिर न्यास द्वारा देय ₹44,100/– की राशि के समायोजन) किये जाने का सत्यापन प्रस्तुत मूल अभिलेख से कर लिया गया।
			परन्तु शेष ₹411200/– तथा इस राशि के ऊपर ब्याज की वसूली बारे मन्दिर न्यास द्वारा कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है।
2	20	अनिर्णीत	कर्मचारी भविष्य निधि में ₹2379160/– के नियोक्ता अंशदान का अधिक भुगतान करना।
3	21	अनिर्णीत	कर्मचारियों को ₹792880/– के मेला भत्ता का अनियमित भुगतान करना।
4	23	अनिर्णीत	मेला प्रबन्धन व्यय को प्रशासनिक व्यय के रूप में आय में से न घटाकर पुजारी हिस्से की अधिक गणना करके ₹4926526/– का अधिक भुगतान।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2014 से 12/2016

1	13 (क)	अनिर्णीत	दिनाँक 01.10.2013 से 30.06.2014 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1394662.50 का अधिक एवं गलत भुगतान।
2	13 (ख)	अनिर्णीत	दिनाँक 01.07.2014 से 30.06.2015 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1249954 का अधिक एवं गलत भुगतान।
3	14	अनिर्णीत	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹9.37 लाख का अधिक भुगतान।
4	17	अनिर्णीत	भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बिना अनियमित पदोन्नतियां करना।
5	18	अनिर्णीत	सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक कर्मचरियों को चतुर्थ श्रेणी से तृतिया श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदोन्नत करना
6	33	अनिर्णीत	छः क्विंटल गिलट की नीलामी में पाई गई अनियमितताएं
7	34	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों की निविदाएँ स्वीकार करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युल भाग–2 (CPWD Manual Vol. 2) के प्रावधानों के विरूद्ध असामान्य रूप से ऊँची/नीची दरों पर कार्य आबन्टित करना
8	40 (1)	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय के

			लेखाओं एवं वित्तीय स्थिति बारे अंकेक्षण टिप्पणियां – रोकड़ बही व बैंक जमा के दिनांक 31.12.2016 के अन्त शेष में ₹17061 का अन्तर
9	41	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय से ₹2.24 लाख का अनियमित भुगतान।
10	43	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में परीक्षा निधि तथा पत्रिका निधि से किये गये व्यय में अनियमितताएं

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी के अवधि 1.1.2017 से 31.12.2021 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), संजीव कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा), प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, देवराज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.12.2022 से 05.06.2023 तक न्यास कार्यालय में किया गया। मन्दिर न्यास की सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, निष्पादित किये जाने वाले कार्य के आधार पर, प्रशासन तथा लेखाओं को चार अलग–अलग विभागों में बांटकर स्वतन्त्र रूप से अनुरक्षित किया जाता है। यह चार विभाग निम्न प्रकार से हैः–

1. मन्दिर न्यास के मुख्य लेखे,
2. मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के लेखे,
3. मन्दिर द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के लेखे, तथा
4. मन्दिर द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लेखे ।

इन सभी विभागों के आय–व्यय की विस्तृत पड़ताल हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

(1) मुख्य मन्दिर न्यास के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु मास चयनः–

वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2017	07 / 2017	05 / 2017
2018	08 / 2018	08 / 2018
2019	04 / 2019	12 / 2019
2020	10 / 2020	04 / 2020
2021	07 / 2021	04 / 2021

(2) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु मास चयनः—

वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2017	06 / 2017	05 / 2017
2018	03 / 2018	06 / 2018
2019	07 / 2019	09 / 2019
2020	01 / 2020	02 / 2020
2021	07 / 2021	04 / 2021

(3) मन्दिर द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु मास चयनः—

वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2017	07 / 2017	07 / 2017
2018	08 / 2018	10 / 2018
2019	09 / 2019	05 / 2019
2020	09 / 2020	12 / 2020
2021	03 / 2021	03 / 2021

(4) मन्दिर द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु मास चयनः—

वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2017	08 / 2017	08 / 2017
2018	12 / 2018	12 / 2018
2019	07 / 2019	05 / 2019
2020	12 / 2020	12 / 2020
2021	04 / 2021	04 / 2021

अस्वीकरण **(Disclaimer):-** *"प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के कारण अंकेक्षण*

प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर राशि ₹3,46,600 (₹ तीन लाख छियालीस हजार छः सौ) आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित मल्टीसिटी चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लॉक 38, एस. डी. ए. कम्पलैक्स, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु सहायक नियन्त्रक के अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–58 दिनाँक 03.06.2023 द्वारा मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हि• प्र• से अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क का विवरण **परिशिष्ट ''2''** पर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के लिये मुख्य मन्दिर न्यास तथा अन्य तीनों विभागों की रोकड़ बहियों पर आधारित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

(4.1) मुख्य मन्दिर न्यास के लेखाओं की वित्तीय स्थितिः–

(4.1.1) अवधि 01/2017 से 12/2021 की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट ''3''):–

वर्ष–>	2017	2018	2019	2020	2021
प्रारम्भिक शेष	489571896.99	534937207.74	618149457.48	715267896.79	672101173.48
देवी को प्राप्त चढ़ावा/नकद	173719154.62	184651517.31	190359605.43	77988823.08	164394224.17
बैंक बचत खातों तथा सावधि जमा निवेश खातों से प्राप्त ब्याज आय	28184157.40	31033133.34	39807555.60	44805600.51	34691588.99
अन्य/विविध आय (वर्ष में मन्दिर न्यास प्रसाद दुकान से	3500000.00	4500000.00	5000000.00	3000000.00	4000000.00

प्राप्त लाभांश)					
सावधि जमा निवेश की परिपक्वता / भुनाने पर प्राप्त राशि ***(निवेश परिपक्वता पर केवल ब्याज का ही लेखाँकन किया गया है, क्योंकि निवेश के समय राशि का लेखाँकन व्यय पक्ष में नहीं लिया गया है)।***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी अनुदान, यदि कोई है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में प्राप्त कुल आय	205403312.02	220184650.65	235167161.03	125794423.59	203085813.16
कुल योग, प्रारम्भिक शेष सहित	694975209.01	755121858.39	853316618.51	841062320.38	875186986.64
वर्ष में किया गया व्यय	140677864.27	136750675.91	137217121.72	159046493.90	119418268.61
विभिन्न विभागों को निक्षेप कार्य निष्पादन हेतु अन्तरित राशि**	19360137	221725	831600	9914653	3957400
सावधि जमा में निवेशित राशियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(निवेश के समय राशि का लेखाँकन व्यय पक्ष में नहीं लिया गया है)।					
वर्ष के व्यय का कुल योग	**160038001.27**	**136972400.91**	**138048721.72**	**168961146.90**	**123375668.61**
अन्तशेष	**534937207.74**	**618149457.48**	**715267896.79**	**672101173.48**	**751811318.03**

**टिप्पणीः– *मन्दिर न्यास द्वारा अस्थाई अग्रिम भुगतान राशियों का संकलित विवरण रखने हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण निक्षेप कार्यों हेतु जारी अग्रिमों का सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं है। तदापि अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बहियों में दर्ज प्रविष्टियों से तैयार की गई परिशिष्ट ''25'' पर संलग्न विवरणी में पाया गया कि अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 तक न्यास द्वारा ₹3,42,85,515/– के अग्रिम निक्षेप कार्यों हेतु जारी किये जो कि उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये हैं।*

(4.1.2) दिनांक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास की निधियों के अन्तशेष का विवरणः–

दिनाँक 31.12.2021 मन्दिर न्यास के बैंक बचत व सावधि जमा खातों में जमा तथा हस्तगत रूप में ₹75,57,88,838.03/– की राशि उपलब्ध थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र	विवरण	राशि
1	**परिशिष्ट ''4''** के अनुसार बचत खातों का अन्तशेष	₹ 9,75,73,837.83
2	**परिशिष्ट ''5''** के अनुसार बैंक सावधि जमा खातों में निवेशित राशियों का अन्तशेष	₹ 65,68,63,580.20
3	**बैंक खातों में जमा कुल निधि शेष**	**₹ 75,44,37,418.03**
4	रोकड़ बही पृष्ठ 318 पर दिनाँक 31.12.2021 को हस्तगत राशि, जो कि दिनाँक 30 व 31.12.2021 की दानपात्र गणना से प्राप्त हुई व 01.01.2022 को भारतीय स्टेट बैंक श्री नयना देवी जी के बचत खाते में जमा हुई है।	₹ 13,51,420.00
5	**बैंक खातों में जमा तथा हस्तगत राशि सहित निधि का कुल योग**	**₹ 75,57,88,838.03**

(4.1.3) दिनांक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास बैंक खातों व रोकड़ बही के शेष की बैंक समाधान विवरणी

दिनाँक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति का अन्तशेष ₹75,18,11,318.03/—था तथा बैंक बचत व सावधि जमा खातों तथा हस्तगत रूप में ₹75,57,88,838.03/— की राशि उपलब्ध थी। इससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से तथा विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट "6")** में है:—

बैंक समाधान विवरणी

1	**उपरोक्त अनुच्छेद 4.1.1 के अनुसार रोकड़ बही तथा वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष**		₹ 75,18,11,318.03
	जमाः—		
2	मन्दिर न्यास द्वारा जारी चैक जिनका बैंक से भुगतान 31.12.2021 तक नहीं हुआ था		
	1. भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी चैक सं. 601078 दिनांक 01.10.2021	₹20,000.00	
	2. भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी चैक सं. 601079 दिनांक 01.10.2021	₹120.00	
	3. भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी चैक सं. 692071 दिनांक 29.12.2021	₹39,57,400.00	
3	उपरोक्त चैकों का कुल योगः—		₹39,77,520.00
4	**उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष**		**₹75,57,88,838.03**
5	**गत उप—अनुच्छेद 4.1.2 में वर्णित दिनांक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास के पास उपलब्ध कुल निधि**		**₹ 75,57,88,838.03**
6	**संशोधित रोकड़ बही तथा उपलब्ध कुल निधि के अन्तशेष में अन्तरः—**		**₹ 0.00**

(4.1.4) मन्दिर न्यास के विभिन्न बचत खातों में दिनाँक 31.12.2021 को उपलब्ध ₹975.74 लाख की राशि का निधिवार विवरण

मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न बैंकों बचत खाते खोले गये है जिनमें दिनाँक 31.12.2021 को ₹9,75,73,837.83 / — की राशि जमा थी। इस राशि का संकलित विवरण निम्न तालिका में तथा विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट "4")** पर दिया गया है।

क्र.	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	दिनांक 31.12.2021 को जमा शेष (₹)
1	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी	11530527497	₹ 4,35,46,717.96
2	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी	33896637024	₹ 11,65,170.50
3	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी	36488121207	₹ 2,78,553.00
4	हि. प्र. रा. सह. बैंक श्री नयनादेवी जी	11510100001	₹ 3,41,41,349.38
5	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	338200108899696	₹ 4,79,292.04
6	एच.डी.एफ.सी. बैंक बिलासपुर	50100200517824	₹ 51,83,342.00
7	एच.डी.एफ.सी. बैंक आनन्दपुर	14241450000129	₹ 1,25,62,048.35
8	यस बैंक आनन्दपुर	105094600000026	₹ 2,17,364.60
		कुल योग	**₹ 9,75,73,837.83**

(4.1.5) मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न बैंकों में किये गये सावधि निवेश का दिनाँक 31.12.2021 का ₹6568.64 लाख के अन्तशेष का संक्षिप्त विवरण

मन्दिर न्यास द्वारा निम्न तालिका में संकलित विवरणानुसार छः बैंकों में 51 सावधि जमा निवेश खाते खोले गये हैं जिनमें दिनाँक 31.12.2021 को ₹65,68,63,580.20 / — की राशि जमा थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "5"** पर दिया गया है:—

क्र.	निधि का नाम	सावधि जमा खातों की संख्या	दिनांक 31.12.2021 को जमा शेष
1	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी	20	₹ 25,51,32,191.00
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक श्री नयनादेवी जी	13	₹ 20,72,67,807.00
3	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	1	₹ 1,06,71,799.00
4	एच.डी.एफ.सी. बैंक बिलासपुर	1	₹ 1,20,92,445.00

5	एच.डी.एफ.सी. बैंक आनन्दपुर	15	₹ 16,08,68,338.20
6	यस बैंक आनन्दपुर	1	₹ 1,08,31,000.00
	कुल योग	**51**	**₹ 65,68,63,580.20**

(4.1.6) मन्दिर न्यास के लेखाओं में रोकड़ बहियों में अनावश्यक रूप से पृष्ठ खाली छोड़ना

अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के वर्तमान अंकेक्षण में रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया है कि निम्न विवरणानुसार रोकड़ बहियों में अनावश्यक रूप से पृष्ठ खाली छोड़े गये थे जिन्हें न तो रद्द किया गया और न ही कोई तर्कसंगत प्रमाणपत्र दर्ज किया गया है। यह लेखांकन के प्रतिपादित नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। नियमानुसार एक रोकड़ बही के अन्तिम पृष्ठ तक प्रविष्टियां दर्ज करने के पश्चात ही अगला खण्ड आरम्भ किया जाना अपेक्षित है। यह कार्यप्रणाली किस उद्देश्य से तथा किन नियमों के अन्तर्गत अपनाई गई है के बारे में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–55 दिनाँक 26.05.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–टीटीएनडी.ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई शीघ्र करने का आश्वासन दिया है। यह एक गम्भीर अनियमितता है अतः इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करते हुये इन खाली पन्नों को रद्द करना तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम	**रोकड़ बही वर्ष**	**रोकड़ बही अवधि**	**प्रयोग किये गये पृष्ठ**	**रोकड़ बही पृष्ठ जो खाली छोड़े गये हैं**
		मन्दिर न्यास मुख्य रोकड़ बही		
1	2017	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	1 से 404	405 से 551
2	2018	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018	1 से 377	378 से 462
3	2019	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019	1 से 359	360 से 406
4	2020	दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020	1 से 347	348 से 387
5	2021	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021	1 से 318	319 से 401
न्यास द्वारा संचालित दुकान की रोकड़ बही				
6	2017	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	1 से 181	182 से 351
7	2018	दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018	1 से 235	236 से 315
8	2019	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019	1 से 233	234 से 301

9	2020	दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020	1 से 132	133 से 328
10	2021	दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021	1 से 201	202 से 351

(4.2) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के लेखों की वित्तीय स्थितिः–

(4.2.1) अवधि 01/2017 से 12/2021 की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट ''7''):–

वर्ष–>	2017	2018	2019	2020	2021
प्रारम्भिक शेष	411689.58	851755.44	620742.44	1430821.63	399815.45
वार्षिक आय	15324107.46	15695143.00	16819940.00	4843576.00	12731540.80
बैंक बचत खातों से प्राप्त ब्याज आय	108755.00	85702.00	134632.29	88471.00	79764.00
वर्ष में प्राप्त कुल आय	15432862.46	15780845.00	16954572.29	4932047.00	12811304.80
कुल योग, प्रारम्भिक शेष सहित	15844552.04	16632600.44	17575314.73	6362868.63	13211120.25
वर्ष में किया गया शुद्ध व्यय	11492796.60	11511858.00	11144493.10	2963053.18	7684884.10
वर्ष में मन्दिर न्यास खाते को लाभांश के रूप में किया गया अन्तरण	3500000.00	4500000.00	5000000.00	3000000.00	4000000.00
वर्ष में किये गये व्यय व अन्तरण का योग	14992796.60	16011858.00	16144493.10	5963053.18	11684884.10
अन्तशेष	851755.44	620742.44	1430821.63	399815.45	1526236.15

(4.2.2) दिनांक 31.12.2021 को प्रसाद दुकान की निधियों के अन्तशेष का विवरण (परिशिष्ट ''8''):–

दिनाँक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के बैंक बचत खातों में जमा तथा हस्तगत रूप में ₹15,26,236.15/– की राशि उपलब्ध थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र	विवरण	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी जी बचत खाता संख्या 11530527588	₹6,16,813.60
2	हि. प्र. रा. सह. बैंक श्री नयनादेवी जी बचत खाता संख्या 11510100620	₹8,46,722.55
3	**बैंक खातों में जमा कुल निधि**	**₹14,63,536.15**
4	हस्तगत राशि	₹62,700.00
5	**बैंक खातों में जमा तथा हस्तगत राशि सहित निधि का कुल योग**	**₹15,26,236.15**

(4.2.3) दिनांक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के बैंक खातों व रोकड़ बही के शेष की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''8''):–

दिनाँक 31.12.2021 को मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों व हस्तगत राशि में उपलब्ध कुल निधि के अन्तशेष ₹15,26,236.15/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है:–

	बैंक समाधान विवरणी	
1	**उपरोक्त अनुच्छेद 4.2.1 के अनुसार रोकड़ बही तथा वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष**	**₹15,26,236.15**
2	**गत उप–अनुच्छेद 4.2.2 में वर्णित दिनांक 31.12.2021 को प्रसाद दुकान के पास उपलब्ध कुल निधि**	**₹15,26,236.15**
3	**संशोधित रोकड़ बही तथा उपलब्ध कुल निधि के अन्तशेष में अन्तर:–**	**₹ 0.00**

(4.3) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय की छात्र निधियों के लेखों की दिनाँक 31.12.2021 की वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''9''):–

Sr	Fund	SBI Shri Naian Devi ji SB A/c No	Balance in Passbook as on 31-12-2021 (₹)	Balance as per Financial position & Cashbook as on 31-12-2021 (₹)
1	Registration Fee	30679726695	18,804.00	18,804.00
2	Sports, Youth Welfare and Holiday Home & Continuation fund	30679727043	1,83,912.00	1,83,912.09
3	Migration & Annual Examination fund	30679726877	1,00,897.00	1,00,897.00
4	Admission, Late Admission, Tuition Fees & Building Fund	11530527419	0.00	0.00
5	Amalgamated Fund, Student Aid Fund, Computer & Internet, Scout & Guide, NCC Fund and Sports Fund	30678633789	5,98,255.54	5,98,255.54
6	Cultural Activity Fund	30679714895	1,21,609.00	1,21,609.00
7	House Exam Fund	30679717794	54,871.64	54,871.64
8	ID Card Fund	30679718357	49,279.00	49,279.00
9	Magzine Fund	30679718618	1,71,253.00	1,71,253.00
10	Book Replacement Fund	30679718845	38,722.00	38,722.00
11	Prospectus Fund	30679719032	26,520.00	26,520.00
12	Absence Fine Fund	30679719269	73,525.05	73,525.05
13	Library Security	30679724495	1,08,862.00	1,08,862.00
14	Medical/Health Fund	30679725182	42,973.00	42,973.00
15	Furniture Repair Fund	30679725705	54,837.00	54,837.00
16	Campus Development Fund	30679726016	60,428.00	60,428.00

17	Library Security	30679717262	0.00	0.00
18	Library Fund	30679726323	0.00	0.00
19	Red Cross Fund	30679725433	0.00	0.00
	Total		**17,04,748.23**	**17,04,748.32**

(4.4) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्र निधियों के लेखों की दिनाँक 31.12.2021 की वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''10''):–

Sr	Fund	HPSCB Shri Naina Devi Ji SB A/c No	Balance in Passbook as on 31-12-2021 (₹)	HPSCB Shri Naina Devi Ji FDR A/c No	Balance in FDR as on 31-12-2021 (₹)	Total Bank Balance	Balance as per Financial position & Cashbook as on 31-12-2021 (₹)
1	Amalgamated Fund	11510102816	340572	11530301119 11530301117	806914	1147486	1147486
2	Science Fund	11510102815	133905	1150301119	237149	371054	371054
3	Computer Fund	11510103504	47418			47418	47418
4	Fine Fund	11510102813	67065			67065	67065
5	Magazine Fund	11510103186	32377			32377	32377
6	ID Card Fund	11510102851	16491			16491	16491
7	Scout & Guide Fund	11510102817	58545	11530301119	78047	136592	136592
8	Physical Education Fund, Sports Fund, Sports Equipment & Sports Donations	11510102814	249715	11530301119 11530301401	251554	501269	501269
9	Furniture Repair Fund	11510102850	13375			13375	13375
10	Cultural Activity Fund	11510102849	9957			9957	9957
11	Library Security	11510103503	28120			28120	28120
12	Examination Fund	11510102852	159195			159195	159195
	Total		**1156735**		**1373664**	**2530399**	**2530399**

5. (5.1) प्राप्त आय व व्यय की तुलना

मन्दिर न्यास को अंकेक्षणावधि में प्राप्त आय तथा किये गये व्यय की तुलनात्मक विवरणी निम्न प्रकार से है:–

		मन्दिर न्यास मुख्य खाता				
मद		वर्ष				
		2017	2018	2019	2020	2021
क	चढ़ावे के रूप में प्राप्त आय	173719155	184651517	190359605	77988823	164394224
	अन्य आय	31684157	35533134	44807556	47805601	38691589
	कुल आय	**205403312**	**220184651**	**235167161**	**125794424**	**203085813**
ख	वर्ष के दौरान व्यय	140677864	136750676	137217122	159046494	119418269
	निक्षेप कार्यों हेतु विभिन्न विभागों प्रदत्त राशि*	19360137	221725	831600	9914653	3957400
	कुल व्यय	**160038001**	**136972401**	**138048722**	**168961147**	**123375669**
	प्राप्त आय से जितना अधिक व्यय किया गया	**45365311 (व्यय कम है)**	**83212250 (व्यय कम है)**	**97118439 (व्यय कम है)**	**–43166723 (अधिक व्यय)**	**79710144 (व्यय कम है)**
	व्यय पर आय की अधिकता की प्रतिशतता	**——**	**——**	**——**	**34% ****	**——**

**टिप्पणीः– मन्दिर न्यास द्वारा अस्थाई अग्रिम भुगतान राशियों का संकलित विवरण रखने हेतु किसी भी प्रकार के अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण निक्षेप कार्यों हेतु जारी अग्रिमों का सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं है। तदापि अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बहियों में दर्ज प्रविष्टियों से तैयार की गई परिशिष्ट "25" पर संलग्न विवरणी में पाया गया कि अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 तक न्यास द्वारा ₹3,42,85,515/– के अग्रिम निक्षेप कार्यों हेतु जारी किये जो कि उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये हैं।*

***टिप्पणी 2:– वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण कम आय प्राप्त हुई है। इसी कारण से आय की तुलना में कुल व्यय **34%** अधिक हुआ है।*

(5.2.1) मन्दिर न्यास को प्राप्त आय की तुलना

मन्दिर न्यास तथा इसके द्वारा संचालित संस्थाओं को अंकेक्षणावधि में प्राप्त आय की विवरणी निम्न प्रकार से है।

वर्ष	कुल आय (₹)	टिप्पणी
2017	205403312	——
2018	220184651	——

2019	235167161	––
2020	125794424	वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण मन्दिर न्यास की आय में वर्ष 2019 की तुलना में ₹109372737/– (**47%**) की कमी आई है।
2021	203085813	––

(5.2.2) मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर आय (समस्त संसाधनों से प्राप्त) की तुलना में किये गये व्यय का विवरण

वर्ष	कुल आय (₹)	कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर किया गया कुल व्यय (₹)	आय की तुलना में प्रतिशत्त	टिप्पणी
2017	205403312	71878985	35%	––
2018	220184651	67927825	31%	––
2019	235167161	70953913	30%	––
2020	125794424	69465688	55%	**वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण मन्दिर न्यास की आय में आई भारी कमी के कारण वेतन व भतों पर किये गये व्यय की प्रतिशत्तता में यह वृद्धि दर्ज की गई है।**
2021	203085813	74060389	36%	––

6. निवेशः–

(6.1) दिनाँक 31.12.2021 को सावधि जमा योजना में निवेशित ₹6568.64 लाख की राशि का विवरण

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा दिनाँक 31.12.2021 को ₹65,68,63,580.20/– की राशि विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट ''5'')** पर दिया गया है।

(6.2) सावधि निवेश राशियों की परिपक्वता पर ब्याज में से बैंकों द्वारा ₹153.32 लाख की स्त्रोत पर आयकर कटौती करना

मन्दिर न्यास के अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के पाँच वर्षों के लेखाओं के अंकेक्षण हेतुं अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के प्रत्युत्तर में उपलब्ध करवाए गए ***आयकर फॉर्म 26 – ए• एस•*** के अवलोकन में पाया गया है कि इन पाँच वर्षों में विभिन्न बैंकों में न्यास द्वारा निवेश की गई राशियों की परिपक्वता पर ब्याज में से तथा टाटा कम्यूनिकेशन्स द्वारा ''माता लाईव दर्शन टैलिविजन प्रसारण अधिकार'' की मन्दिर को भुगतान की गई फीस में से स्त्रोत पर आयकर के रूप में ₹1,53,31,539/– की राशि की कटौती की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''11''** पर दिया गया है। फॉर्म– 26 ए एस के आधार पर बैंको द्वारा की गई आयकर कटौती का वर्षवार व बैंकवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	बैंक	वर्ष 2017–18 में आयकर कटौती (₹)	वर्ष 2018–19 में आयकर कटौती (₹)	वर्ष 2019–20 में आयकर कटौती (₹)	वर्ष 2020–21 में आयकर कटौती (₹)	वर्ष 2021–22 में आयकर कटौती (₹)	कुल आयकर कटौती (₹)
1	SBI Nainadevi TAN- PTLS13830F	1157202	1265541	1241988	957484	1235163	5857378
2	HDFC Anandpur TAN-MUMH03189E	694013	793514	940642	640019	717270	3785458
3	HPSCB Nainadevi TAN-PTLT11351E	868631	696167	00	00	00	1564798
4	HPSCB Nainadevi TAN-PTLH11245D	00	263639	1222337	869978	1088689	3444643
5	Yes Bank Anandpur TAN-MUMY02084F	00	00	14557	47362	67468	129387
6	TATA Communications TAN-MUMV07840A	90000	127500	118625	93750	120000	549875
	कुल योग	**2809846**	**3146361**	**3538149**	**2608593**	**3228590**	**15331539**

मन्दिर न्यास को सरकार को आयकर देने से कुछ विशेष शर्तों के साथ छूट प्राप्त होने के कारण यह ₹1,53,31,539/– की आयकर कटौती अनुचित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–24 दिनाँक 05.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा

कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी.ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा सूचित किया गया है कि मन्दिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटैन्ट के माध्यम से अपनी आयकर रिटर्न भरी जाती है। जिसके आधार पर देयता से अधिक आयकर कटौती का रिफन्ड आयकर विभाग द्वारा नियमानुसार मन्दिर न्यास को कर दिया जाता है।

वर्ष 2013 से लेकर 2023 तक ₹1,66,66,448/– की राशि आयकर रिफन्ड के रूप में प्राप्त हुई जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः–

क्रम	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	रिफन्ड राशि (₹)
1	06.04.2013	102	151175
2	06.04.2013	102	714324
3	05.08.2013	231	58104
4	05.09.2013	266	137138
5	05.10.2013	299	177151
6	03.09.2013	269	39650
7	27.04.2015	142	265050
8	05.06.2018	160	2181126
9	18.11.2020	310	3225020
10	28.03.2021	70	3231320
11	17.06.2021	142	419470
12	25.11.2022	317	2660760
13	2102.2023	48	3406160
		कुल योग	**16666448**

परन्तु यह रिफन्ड किस वर्ष के लिये कितना प्राप्त हुआ है का विवरण न्यास के पास उपलब्ध नहीं था। अतः इस रिफण्ड विवरण का अनुरक्षण वर्षवार सुनिश्चित करके उपरोक्त आयकर कटौती की वसूली भी सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6.3) निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण न किए जाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणावधि में किसी प्रकार के निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। **परिशिष्ट ''5''** पर दिये विवरणानुसार दिनांक 31–12–2021 को न्यास के पास ₹65,68,63,580.20/– की धन राशि सावधि जमा निवेश के रूप में उपलब्ध थी। इतनी बड़ी राशि पर प्रबन्धकीय नियन्त्रण तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन के साथ–साथ किसी प्रकार की चूक की

आशंका को समाप्त करने के लिये निवेश रजिस्टर एक अति महत्वपूर्ण शस्त्र है। परन्तु न्यास द्वारा इस रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जाना प्रबन्धकीय चूक को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज, प्राप्त की गई परिपक्वता राशि, सही समय पर पुनर्निवेश तथा इसके लेखांकन की पड़ताल अंकेक्षण में नहीं की जा सकी है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–25 दिनाँक 05.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी.ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा आश्वासन दिया है कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे उचित व तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(6.4) उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने पर सावधि निवेश से संभावित अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना

मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय स्थिति, माहवार आय–व्यय के आँकड़ों तथा लेन देन की संख्या (number of transactions) के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि निधि के बचत खातों में करोड़ों रूपये की राशि ज्यादातर समय बिना उपयोग के ही शेष में पड़ी थी। **परिशिष्ट "4"** पर दिये विवरण अनुसार दिनाँक 31.12.2021 को न्यास के बचत खातों में ₹9,75,73,838/– की राशि जमा थी। इस राशि में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को अल्पावधि सावधि जमा में निवेश किया जाता तो निश्चित रुप से अधिक ब्याज कमाया जा सकता था। परन्तु न्यास द्वारा इस राशि को केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में संभावित अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–26 दिनाँक 05.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी.ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा आश्वासन दिया है कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष को अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7. सोना एवं चाँदी का विवरणः—

(7.1) सोने का विवरणः— मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "12"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01/2017 से 12/2021 तक मन्दिर न्यास को दान में प्राप्त सोने तथा इसकी दिनांक 31.12.2021 को अन्तशेष की स्टॉक स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

अवधि	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1.1.2017 को प्रारम्भिक शेष की मात्रा	**1**	**01**	**63**	**826**	**005**
वर्ष 2017 में प्राप्त मात्रा	1 से 12	00	05	148	476
वर्ष 2018 में प्राप्त मात्रा	14 से 25	00	05	452	180
वर्ष 2019 में प्राप्त मात्रा	28 से 42	00	05	909	540
वर्ष 2020 में प्राप्त मात्रा	43 से 54	00	01	853	800
वर्ष 2021 में प्राप्त मात्रा	56 से 68	00	03	949	080
31.12.2021 को अन्तशेष की मात्रा	**68**	**01**	**86**	**139**	**081**

दिनांक 31.12.2021 को उपलब्ध सोने की मात्रा का मदवार विस्तृत विवरण

क्र•	**विवरण**	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1	भारतीय स्टेट बैंक की स्वर्ण बॉन्ड जमा योजना में निवेशित सोना (Gold Bond Deposit Scheme of State Bank of India) **(परिशिष्ट "17")**	68	00	54	101	910
2	स्टॉक रजिस्टर अनुसार स्वर्ण ईन्टों के रूप में मन्दिर की तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम में संरक्षित	68	00	22	238	174
3	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कपड़े की मोहरबंद 5185 गान्ठों में बाँधकर मन्दिर की तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम व गणना कक्ष में	68	00	99	976	630

	संरक्षित					
4	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पूजा अर्चना में प्रयोग हेतु जारी सोना	68	00	09	821	367
5	स्टॉक रजिस्टर के अनुसार पुलिस प्राथमिकी में केस सम्पत्ति के रूप में पुलिस विभाग के पास जमा	68	00	00	001	000
6	**दिनांक 31.12.2021 तक कुल अन्तशेष**	**68**	**01**	**86**	**139**	**081**

(7.2) चाँदी का विवरणः— मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग — शिमला/2022/—261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "13"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01/2017 से 12/2021 तक मन्दिर न्यास को दान में प्राप्त चान्दी तथा इसकी दिनांक 31.12.2021 को अन्तशेष की स्टॉक स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

अवधि	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1.1.2017 को प्रारम्भिक शेष की मात्रा	**101**	**64**	**21**	**600**	**929**
वर्ष 2017 में प्राप्त मात्रा	101 से 112	02	79	468	900
वर्ष 2018 में प्राप्त मात्रा	114 से 125	02	89	442	130
वर्ष 2019 में प्राप्त मात्रा	128 से 140	02	90	296	350
वर्ष 2020 में प्राप्त मात्रा	142 से 153	00	85	063	220
वर्ष 2021 में प्राप्त मात्रा	155 से 166	02	47	901	280
31.12.2021 को अन्तशेष की मात्रा	**166**	**76**	**13**	**772**	**809**

दिनांक 31.12.2021 को उपलब्ध चान्दी की मात्रा का मदवार विस्तृत विवरण

क्र•	**विवरण**	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1	स्टॉक रजिस्टर अनुसार चान्दी की ईन्टों के रूप में मन्दिर की तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम में संरक्षित	166	12	82	224	349

2	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कपड़े की मोहरबंद 7729 गान्ठों में बाँधकर मन्दिर की तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम व गणना कक्ष में संरक्षित	166	61	44	555	480
3	स्टॉक रजिस्टर अनुसार पूजा अर्चना में प्रयोग हेतु जारी चान्दी	166	01	86	992	980
4	**दिनांक 31.12.2021 तक कुल अन्तशेष**	**166**	**76**	**13**	**772**	**809**

(7.3) गिल्ट का विवरणः– मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "14"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01/2017 से 12/2021 तक मन्दिर न्यास को दान में प्राप्त गिल्ट तथा इसकी दिनांक 31.12.2021 को अन्तशेष की स्टॉक स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

अवधि	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1.1.2017 को प्रारम्भिक शेष की मात्रा (स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 201) **(गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में 31.12.2016 को दर्शाया गया अन्तशेष वास्तव में दिनाँक 05.08.2016 तक की ही स्थिति दर्शाता है क्योंकि 06.08.2016 से 31.12.2016 तक दान में प्राप्त गिल्ट का लेखाँकन नहीं किया गया था)**	201	00	97	228	000
दिनाँक 01.01.2017 से 11.04.2021 तक **(स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार दिनाँक 06.08.2016 से 11.04.2021 तक दान में प्राप्त गिल्ट को दान गणना हॉल में बिना तोले ही बोरियों में भरकर रख दिया जाता था जिसकी छंटाई करके 11.04.2021 को लेखांकन करके तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम में संरक्षित किया गया है)**	201	01	97	500	000
वर्ष 2021 में प्राप्त मात्रा	202 से	00	13	565	900

दिनाँक 12.04.2021 से 31.12.2021 तक दान में प्राप्त गिल्ट (स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 202 से 205)		205				
31.12.2021 को अन्तशेष की मात्रा (स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 205)		**205**	**03**	**08**	**293**	**900**
दिनांक 31.12.2021 को उपलब्ध गिल्ट की मात्रा का विस्तृत विवरण						
क्र•	**विवरण**	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**	**क्विंटल**	**कि0 ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0 ग्रा0**
1	कपड़े की मोहरबंद गान्ठों में बाँधकर मन्दिर की तिजोरी/स्ट्रॉन्ग रूम व गणना कक्ष में संरक्षित	205	03	08	293	900
2	**दिनांक 31.12.2021 का अन्तशेष**	**205**	**03**	**08**	**293**	**900**

(7.4) मन्दिर में प्रयोग किये जा रहे सोने व चाँदी का विवरणः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/– 155 दिनांकः 26/05/2022 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना में **''पूजा अर्चना हेतु प्रयोग किये जा रहे सोना व चान्दी शीर्षक''** के अन्तर्गत वर्णित सामग्री का दिनांक 31.12.2021 का विवरण निम्न प्रकार से है। इसमें से सोने व चान्दी की कुछ सामग्री मन्दिर में दीवारों, दरवाजों, कलशों आदि पर स्थापित की गई है अथवा पूजा अर्चना में स्थाई प्रयोग हेतु जारी की गई है।

(7.4.1) प्रयोग किये जा रहे सोने का विवरण (परिशिष्ट ''15''):–

क्रम	**नाम वस्तु**	**वजन कि0–ग्राम–मिलीग्राम**	**पूजा अर्चना स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ**
(क)	गर्भगृह में दैनिक पूजा अर्चना मे प्रयुक्त सोना		
1	छत्र 2 नग	01–218–000	
2	छत्र 1 नग	00–160–000	डोरी के वजन सहित
3	छत्र 1 नग	00–412–000	डोरी के वजन सहित
4	छत्र 1 नग	00–906–000	डोरी के वजन सहित
5	मुकुट 3 नग	00–628–000	

6	मुकुट	00—080—000	**पुलिस प्राथमिकी में केस सम्पत्ति के रूप में पुलिस विभाग के पास जमा**
7	तन्दीरी 1 नग	00—448—000	
8	तन्दीरी वमय हीरा मोती	00—263—000	जड़े गये हीरे व मोतियों के वजन सहित
9	टिक्का 2 नग डोरी सहित	00—030—000	
10	नथ 1 नग	00—014—000	डोरी व मोतियों के वजन सहित
11	हार 1 नग	00—098—000	डोरी के वजन सहित
12	हार 1 नग	00—106—000	डोरी व मोतियों के वजन सहित
13	मटर माला 1 नग	00—044—000	
14	माता का हार, झुमके, टिक्का व नथ	00—122—920	
15	झुमके 1 जोडी	00—046—000	डोरी व मोतियों के वजन सहित
16	झुमके 1 जोडी	00—053—800	डोरी के वजन सहित
17	चूड़ा 1 नग	00—414—800	डोरी के वजन सहित
18	नथ 1 नग	00—022—100	डोरी व मोतियों के वजन सहित
19	नेत्र 1 जोडी	00—015—200	
20	नेत्र 3 जोडी	00—052—000	
	योग (क)	**05—133—820**	
(ख)	**गर्भगृह एवं मन्दिर परिसर में दीवारों, दरवाजों, कलशों आदि पर प्लेटिंग करके स्थापित सोना**		
21	शिव मन्दिर एवं हवनकुण्ड	00—080—000	20 किलोग्राम ताँबे पर प्लेटिंग करके स्थापित।
22	गर्भगृह एवं चन्दुआ	00—489—130	**चन्दुआ में से लगभग 3.562 किलोग्राम (ताँबा जिस पर प्लेटिंग की गई है के वजन सहित) के दो भाग/टुकड़े स्थापित करते समय सही नाप न होने**

			के कारण तथा स्थापना के समय कटाई व छँटाई में से बची वेस्टेज को पूजा स्टोर में रखा गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। **1. लगभग 26×24 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 0.324 ग्राम है।** **2. लगभग 26×125 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 2.704 ग्राम है।** 3. **कटाई व छँटाई में से बची वेस्टेज जिसका वजन 0.524 ग्राम है। (छोटे बड़े 34 टुकड़े)**
23	गर्भगृह की दिवारो पर	00—896—300	....
24	गर्भगृह की दिवारों पर	00—495—000	....
25	मेहराव, दीवार तथा चौकी पर	00—282—800	
26	मेहराव, दीवार तथा चौकी पर	00—101—700	34 किलोग्राम ताँबे पर प्लेटिंग करके स्थापित।
27	माता जी के सिंहासन पर	00—220—110	
28	कलशों एवं चरण पादुका पर	00—243—000	
29	कलशों पर	00—373—450	46 किलोग्राम ताँबे पर प्लेटिंग करके स्थापित।
30	सर्वप्रथम वर्ष 1986 में कलशों पर प्लेटिंग करके न्यास द्वारा स्थापित सोना।	00—413—057	

31	कलशों पर	00—300—000	
32	कलशों पर	00—793—000	80 किलोग्राम ताँबे पर प्लेटिंग करके स्थापित। **लगभग 4.820 किलोग्राम (ताँबा जिस पर प्लेटिंग की गई है के वजन सहित) के चार भाग/टुकड़े तकनीकी कारणों से मन्दिर की मुरम्मत के समय हटाकर/उखाड़ कर पूजा स्टोर में रखे गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।** **1. लगभग 55 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 1.010 ग्राम है।** **2. लगभग 87 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 1.500 ग्राम है।** **3. लगभग 88 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 1.450 ग्राम है।** **4. लगभग 55 सैन्टीमीटर का टुकड़ा जिसका वजन 0.860 ग्राम है।**
	योग. (ख)	**04—687—547**	
	कुल योग (उपरोक्त क+ख) (05—133—820 + 04—687—547)	**09—821—367**	

(7.4.2) पुलिस प्राथमिकी में केस सम्पत्ति के रूप में पुलिस विभाग के पास जमा 80 ग्राम सोने के मुकुट को वपिस न छुड़वाना

गत अनुच्छेद 7.4.1 में दिये विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि क्रमांक 6 पर 80 ग्राम सोने का एक मुकुट वर्णित है जिसे चोरी होने पर दर्ज पुलिस प्राथमिकी में केस सम्पत्ति के रूप में पुलिस विभाग के पास जमा दर्शाया गया है। मौखिक तौर पर बताया गया कि चोरी का यह मामला न्यायालय में निर्पित हो चुका है परन्तु इस मुकुट को अभी तक पुलिस मालखाने से वापिस नहीं छुड़वाया गया है। अतः इस सन्दर्भ नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(7.4.3) गर्भगृह में दैनिक पूजा अर्चना में प्रयोग की जा रही तथा दीवारों, दरवाजों, कलशों आदि पर स्थापित चान्दी का विवरण (परिशिष्ट ''16''):—

क्रम	नाम वस्तु	वजन कि0—ग्राम—मिलीग्राम	पूजा अर्चना स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ
	गर्भगृह में दैनिक पूजा अर्चना मे प्रयुक्त चान्दी		
1	चान्दी माला रूद्राक्ष	0—00—065—600	49 ग्राम मनकों सहित
2	चान्दी का शीशा 1 नग	0—00—616—000	शीशे के वजन सहित
3	धूपिया 1 नग	0—01—108—000	हत्थे पर लगे कपड़े सहित
4	थाली	0—01—758—000	
5	थाली	0—00—728—000	
6	थाली	0—00—666—000	
7	थाली	0—00—382—000	
8	थाली	0—00—484—000	
9	थाली	0—00—232—000	
10	प्लेट	0—00—190—000	
11	प्लेट	0—00—136—000	
12	प्लेट	0—00—138—000	
13	प्लेट ताम्बुल (सुपारी इलायची आदि के भोग हेतु)	0—00—074—000	
14	कटोरी 10 नग	0—01—172—000	
15	गिलास 2 नग	0—00—270—000	
16	पन्च पात्र	0—00—162—000	
17	गड़वी 5 नग	0—01—976—000	
18	गड़वी 1 नग	0—00—282—000	
19	अरघा (अरघ्य)	0—00—152—000	
20	आचमनी 5 नग	0—00—256—000	
21	चौरी (चन्बर)	0—00—560—000	लाख व बालों सहित के वजन सहित
22	अखण्ड जोत	0—00—336—000	
23	आरती जोत	0—00—876—000	

24	जोत	0—00—262—000	
25	जोत का कोल	0—00—276—000	
26	दीपक स्टैण्ड	0—00—974—000	
27	छोटी तिपाई / स्टूल (छोटा शँख रखने हेतु)	0—00—042—000	
28	किरंडी (पूजा के फूल रखने की टोकरी)	0—01—374—000	
29	चारपाई 1 नग लकडी सहित	0—05—235—000	
30	चान्दी का ट्रन्क 1 नग	0—24—000—000	
31	चौकी 4 नग लकडी सहित	0—08—760—000	
32	माता जी के सिहांसन, मूर्तियों के फ्रेम एवं गर्भगृह की चौखट, चार किवाडों, मन्दिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार, निकासी द्वार तथा जनानी द्वार (Female Door) पर लगी चान्दी।	1—30—830—380	मूर्तियों के फ्रेम जिन पर चान्दी भी चढ़ाई गई है में से एक फ्रेम को तकनीकी कारणों से हटाकर / उखाड़ कर पूजा स्टोर में रखा गया है।
33	चरण पादुका 1 जोड़ी	0—00—366—000	
34	मूर्ति 3 नग तथा 1 नग सिंहासन	0—01—684—000	सराय नम्बर 1 के पूजा कक्ष में स्थापित
35	जोत 1 नग	0—00—204—000	सराय नम्बर 1 के पूजा कक्ष में स्थापित
36	गड़वी, आचमनी, अरघा 3 नग	0—00—366—000	सराय नम्बर 1 के पूजा कक्ष में स्थापित
	कुल चान्दी	**1—86—992—980**	

(7.5) दान में प्राप्त 2.016 ग्राम हीरे का लेखाँकन अनियमित रूप से करने बारेः—

सोना स्टॉक रजिस्टर की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 358 दिनाँक 24.03.2018 द्वारा दान में सोने का एक टिक्का प्राप्त हुआ जिसका कुल वजन 16.300 ग्राम, इसमें

जड़े हुये 2.016 ग्राम के एक हीरे सहित है। इस टिक्के के कुल वजन 16.300 ग्राम की प्रविष्टि सोना स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 16 पर दान में प्राप्त अन्य सोने के साथ ही की गई है जबकि स्टॉक लेखाँकन के प्रतिपादित नियमों के अनुसार हीरे का लेखाँकन अलग पृष्ठ पर किया जाना अपेक्षित था। इस त्रुटि के कारण स्टॉक में सोने की मात्रा 2.016 ग्राम से अवास्तविक रूप से अधिक दर्ज की गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन– 5 दिनाँक 17.03.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–2138 दिनाँक 16–05–2023 द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7.6) दान में प्राप्त सोने के गहनों के वजन का लेखाँकन अनियमित रूप से करने बारेः–

सोना स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि लगभग प्रतिदिन माता श्री नयनादेवी जी को उपहार स्वरूप श्रद्धालुओं द्वारा सोने व चान्दी के गहने समर्पित किये जाते हैं जिनमें अधिकतर पर विभिन्न प्रकार के रत्न, हीरे, मोती, माणिक व अन्य बहुमूल्य पत्थर जड़े गये होते हैं। मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर में इन गहनों की प्रविष्टि करते समय इन रत्नों आदि का वजन भी सोने अथवा चान्दी के वजन में शामिल करके दर्ज किया जाता है। इस कारण सोने चान्दी के स्टॉक लेखाँकन में निम्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैंः–

1. सोने व चान्दी का वजन अवास्तविक रूप से अधिक दर्ज होता है जोकि भविष्य में स्टॉक हस्तांतरण तथा इन धातुओं की शुद्धता हेतु ढलाई के समय समस्याएँ उत्पन करने का कारण बनना तय है।
2. लेखाँकन की इस पद्धति को अपनाये जाने के कारण स्टॉक में सोने व चान्दी की मात्रा अवास्तविक रूप से अधिक दर्ज की जाती है।
3. यदि इन गहनों की शुद्धता हेतु ढलाई करवाई जाती है तो उस समय इनमें कितनी लागत के रत्न, हीरे, मोती, माणिक व अन्य बहुमूल्य पत्थर मन्दिर न्यास के पास उपलब्ध हैं का कोई प्रमाणिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
4. इसी प्रकार सोने चान्दी के दिनाँक 31.12.2021 के उपरोक्त पैरा में वर्णित सोने तथा चान्दी के क्रमशः 186 तथा 7613 किलोग्राम उपलब्ध स्टॉक में कितनी शुद्ध धातु है इसका भी कोई प्रमाणिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
5. उदाहरण के रूप में गत उप–अनुच्छेद में वर्णित 2.016 ग्राम के हीरे के समान ही और कितने हीरे स्टॉक में हैं मन्दिर न्यास के पास कोई आँकड़ा नहीं है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हीरे का मूल्य सोने के मूल्य की तुलना में अधिक ही होता है तदापि इस प्रकार का अभिलेख मन्दिर न्यास द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया है।

6. इसके अतिरिक्त वर्ष 1999 में अन्तिम बार सोने व चान्दी की जब शुद्धता करवाई गई थी तब इस प्रकार के कितने रत्न, हीरे, मोती, माणिक व अन्य बहुमूल्य पत्थर उन गहनों में से प्राप्त हुये थे का भी कोई प्रमाणिक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।

अंकेक्षणावधि के पाँच वर्षों में पाई गई इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ निम्न तालिका में दर्ज हैं:–

क्रम	दिनाँक	बहुमूल्य नग का नाम	रसीद संख्या	रसीद संख्या अनुसार प्राप्त गहनों का कुल वजन (कि.ग्रा.–ग्रा.– मि.ग्रा.)	गहने की धातु	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या
1	05.04.2017	नग (नाम दर्ज नहीं है)	306	0.002.400	सोना	4
2	14.01.2018	नग (नाम दर्ज नहीं है)	349	0.005.310	सोना	14
3	13.10.2018	मोती	406	0.015.680	सोना	23
4	18.11.2018	हीरा	416	0.011.650	सोना	24
5	12.10.2020	मोती	18501	0.022.170	सोना	52
6	16.10.2020	मोती	18503	0.197.520	सोना	52
7	23.11.2020	मोती	18505	0.013.520	सोना	53
8	18.07.2021	मोती	18540	0.009.780	सोना	62
9	15.08.2021	मोती	18551	0.111..000	सोना	63

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन– 20 दिनाँक 05.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–2075 दिनाँक 09–05–2023 द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त सोना चान्दी व अन्य बहुमूल्य रत्नों का लेखाँकन नियमानुसार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(7.7) दान में प्राप्त 66.820 ग्राम वजन के बहुमूल्य मोतियों व नगों/पत्थरों का स्टॉक रजिस्टर में लेखाँकन न करनाः–

दान की रसीदों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दान में प्राप्त गहनों में जड़े गये 66. 820 ग्राम वजन के निम्न तालिका में वर्णित बहुमूल्य मोतियों व नगों/पत्थरों के लिये रसीद तो

जारी की गई है परन्तु स्टॉक रजिस्टर में केवल सोने के शुद्ध वजन का ही लेखाँकन किया गया है। इन 66.820 ग्राम बहुमूल्य मोतियों व नगों/पत्थरों का लेखाँकन नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–21 दिनाँक 05.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–2137 दिनाँक 16–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के अतिरिक्त इन बहुमूल्य मोतियों व नगों/पत्थरों का लेखाँकन नियमानुसार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	**रसीद संख्या**	**दिनाँक**	**बहुमूल्य मोती, नग, पत्थर की प्रकार**	**रसीद अनुसार बहुमूल्य मोतियों व नगों/पत्थरों का वजन (कि.ग्रा.–ग्राम – मिली ग्राम)**	**स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
1	333	25.09.2017	नग/पत्थर	0.010.570	9
2	18530	13.03.2021	मोती	0.005.640	58
3	18577	06.10.2021	मोती	0.050.610	63
		कुल वजन		**0.066.820**	

(7.8) स्टॉक रजिस्टर में 150 मिलीग्राम सोने का कम लेखाँकन करने बारे

सोना स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सोने की दान में प्राप्त मात्रा की तुलना में स्टॉक रजिस्टर में 150 मिलीग्राम सोने की मात्रा का कम लेखाँकन किया गया है।

क्रम	**सोने की स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज मात्रा का विवरण**	**कम दर्ज मात्रा (किलोग्राम)**
1	दिनाँक 06.10.2021 को रसीद संख्या 18577 से सोने का एक हार, एक जोड़ी झुमके, टिक्का दो नग तथा एक नथ गुप्त दान में प्राप्त हुये जिनका कुल वजन 0.173.600 किलोग्राम दर्ज किया गया है। इन गहनों में जड़े गये 0.34.150 किलोग्राम मोतियों तथा 0.16.460 किलोग्राम कुन्दन का वजन भी शामिल है। इस प्रकार सोने का शुद्ध वजन 0.122.990 किलोग्राम (0.173.600 – 0.034.150 – 0.016.460) है। परन्तु सोना स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ 66 पर सोने की शुद्ध मात्रा 0.122.920 किलोग्राम दर्ज करके 0.00.070 किलोग्राम (0.122.990 – 0.122.920) कम दर्ज की गई है।	0.00.070

2	मुख्य गल्ला रजिस्टर में प्राप्ति की दिनाँक 28.10.2021 को दान में प्राप्त सोने की मात्रा 0.014.180 किलोग्राम दर्ज की गई थी। परन्तु उसी दिन के लिये सोना स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 65 पर प्राप्त सोने की मात्रा 0.014.100 दर्ज की गई है। पोस्टिंग में चूक के कारण 80 मिलीग्राम मात्रा कम दर्ज की गई। (0.014.180 – 0.014.100)	0.00.080
	कुल कम दर्ज मात्राः–	**0.00.150**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन– 19 दिनाँक 05.04.2023 तथा 1 दिनांकः 03/03/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–2136 दिनाँक 16–05–2023 तथा 788 दिनाँक 13–03–2023 द्वारा सूचित किया गया कि स्ट्राँग रूम में सोना मोहरबन्द गान्ठों में मुख्य गल्ला रजिस्टर मे ंदर्ज मात्रा के अनुसार ही रखा गया था परन्तु स्टॉक रजिस्टर में पोस्टिंग के समय मात्रा कम दर्ज की गई है जिसे सुधार कर अब सोना स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 97 पर दिनाँक 06.03.2023 को 0.00.080 किलोग्राम तथा पृष्ठ 100 पर 16.05.2023 को 0.00.070 किलोग्राम को दर्ज कर लिया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7.9) स्टॉक रजिस्टर में 524.400 ग्राम चान्दी का कम लेखाँकन करने बारे

चान्दी स्टॉक रजिस्टर की अँकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार चान्दी की दान में प्राप्त मात्रा की तुलना में स्टॉक रजिस्टर में 524.400 ग्राम चान्दी की मात्रा का कम लेखाँकन किया गया है।

क्रम	मुख्य गल्ला रजिस्टर में प्राप्ति की दिनाँक	मुख्य गल्ला रजिस्टर पृष्ठ संख्या	मुख्य गल्ला रजिस्टर में प्राप्त मात्रा (किलोग्राम)	चान्दी स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या	चान्दी स्टॉक में रजिस्टर में दर्ज मात्रा (किलोग्राम)	कम दर्ज मात्रा (किलोग्राम)
1	21.03.2021	164	2.457.500	157	2.451.500	0.006.000
2	13.10.2021	389	2.164.400	164	1.646.000	0518.400
	कुल योग					**0.524.400**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–1 दिनांकः 03/03/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–1558 दिनाँक 04–04–2023 द्वारा सूचित किया गया कि स्ट्राँग रूम में चान्दी मोहरबन्द

गान्ठों में मुख्य गल्ला रजिस्टर मे ंदर्ज मात्रा के अनुसार ही रखा गया था परन्तु स्टॉक रजिस्टर में पोस्टिंग के समय मात्रा कम दर्ज की गई है जिसे सुधार कर अब चान्दी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 185 पर दिनाँक 15.03.2023 को दर्ज कर लिया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई है। भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7.10) गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेशित सोने के वजन में 06.341.910 किलोग्राम के अन्तर बारेः—

मन्दिर अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट ''17''** उपलब्ध करवाई सूचना के अवलोकन पर पाया गया है कि दिनांक 28.02.2000, 27.08.2001 तथा 18.09.2002 को न्यास द्वारा 54.101.910 (21. 892.050 + 13.499.860 + 18.710.000) किलोग्राम सोना भारतीय स्टेट बैंक की स्वर्ण बॉन्ड योजना में निवेशित किया है। और यही मात्रा मन्दिर न्यास के सोना स्टॉक रजिस्टर में पृष्ठ 68 पर भी दर्ज है। परन्तु बैंक द्वारा जारी निवेश प्रमाणपत्रों के अनुसार 47.660.000 (18.980.000 + 12.150.000 + 16.530.000) किलोग्राम सोना ही निवेशित किया गया है। इस प्रकार इन दोनो मात्राओं में 06.441.910 किलोग्राम सोने का अन्तर निम्न विवरणानुसार पाया गया है।

क्रम	निवेश प्रमाणपत्र संख्या	प्रथम निवेश की दिनाँक	न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सोने की निवेशित मात्रा (किलोग्राम—ग्राम—मिलीग्राम)	मात्रा जिसके लिये बैंक द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है। (किलोग्राम—ग्राम—मिलीग्राम)	निवेशित मात्रा में अन्तर (किलोग्राम—ग्राम—मिलीग्राम)
1	12002M00781	28.02.2000	21.892.050	18.980.000	2.912.050
2	12002M00782	27.08.2001	13.499.860	12.150.000	1.349.860
3	81253211884	18.09.2002	18.710.000	16.530.000	2.180.000
	कुल योग		**54.101.910**	**47.660.000**	**6.441.910**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017—2021/ज्ञापन—52 दिनांकः 24/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या— टीटीएनडी. ऑडिट/2023—2356 दिनाँक 02—06—2023 द्वारा आश्वासन दिया है कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(7.11) सोने व चान्दी को स्वर्ण जमा योजना जैसी योजनाओं में जमा करके ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने बारे।

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–7 दिनांकः 21/03/2023 के प्रत्युत्तर में **परिशिष्ट ''17'' पर** प्रस्तुत सूचना के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि न्यास द्वारा 54.101.910 किलोग्राम सोने को तीन बार में भारतीय स्टेट बैंक की स्वर्ण जमा योजना (Gold Deposit Scheme of State Bank of India) में निवेशित किया था। यह सोना बैंक को विभिन्न कैरेट के गहनों के रूप में सौंपा गया था जिसकी 24 कैरेट में शुद्धि के पश्चात बैंक द्वारा 47.660.000 किलोग्राम सोना निवेशित किये जाने के प्रमाणपत्र निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार जारी किये गये हैं।

क्रम	निवेश प्रमाण पत्र संख्या	प्रथम निवेश की दिनाँक	वर्तमान पुनर्निवेश की दिनाँक	परिपक्वता दिनाँक	निवेश ब्याज दर (%)	गहनों के रूप में निवेशित मात्रा (किलोग्राम–ग्राम –मिलीग्राम)	मात्रा जिसके लिये बैंक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। (किलोग्राम–ग्राम –मिलीग्राम)
1	12002M00781	28.02.2000	07.05.2018	07.05.2025	2.15	21.892.050	18.980.000
2	12002M00782	27.08.2001	07.05.2018	07.05.2025	2.15	13.499.860	12.150.000
3	81253211884	18.09.2002	18.09.2018	18.09.2025	2.15	18.710.000	16.530.000
	कुल योग					**54.101.910**	**47.660.000**

परिशिष्ट ''18'' पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार इस निवेश पर वर्ष 2000 से 2021 तक इस योजना से मन्दिर न्यास को ₹3,44,50,836/– की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हो चुकी है। ***निवेश शर्तों के अनुसार मन्दिर न्यास इस निवेश को कभी भी भुनाकर शुद्ध सोना बैंक से ले सकता है। इस प्रकार यह निवेश सोने को बैंक लॉकर में सुरक्षित रखने के समान ही है।*** अन्तर केवल यह है कि लॉकर की स्थिति में आय के स्थान पर व्यय करना पड़ता है। दिनांक 31.12. 2021 को ***गत अनुच्छेद 7.1 व 7.2 में दिये विवरणानुसार न्यास के स्ट्राँग रूम में लगभग 122 किलोग्राम अशुद्ध सोना तथा लगभग 7426 किलोग्राम अशुद्ध चान्दी बिना किसी प्रयोग के रखी हुई है।*** सोने का निवेश मन्दिर न्यास द्वारा अन्तिम बार 21 वर्ष पूर्व 2002 में किया गया था। तत्पश्चात इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जबकि अंकेक्षण द्वारा पिछले कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस बारे में आपत्ति दर्ज की गई है। निवेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ कमाने के स्थान पर न्यास अपने पास रखे सोने व चान्दी की **सुरक्षा पर**

लगभग ₹36 लाख का वार्षिक व्यय कर रहा है। यह न्यास प्रबन्धन द्वारा इन बहुमूल्य धातुओं के समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को प्रदर्शित करता है। यह सोना व चान्दी कपड़े की गाँठों में सीलबंद करके बिना किसी उपयोग के मन्दिर परिसर में बने स्ट्राँग रूम तथा गणना कक्ष में संरक्षित रखा गया है। इस सोने व चान्दी का कभी शुद्धीकरण भी नहीं करवाया गया है। यह मात्रा निवेशित सोने तथा पूजा अर्चना में प्रयोग किये जा रहे सोने चान्दी के अतिरिक्त है। **वर्तमान अंकेक्षण के समय इन्टरनैट पर उपलब्ध ₹6000/– प्रति ग्राम सोना तथा ₹72000/– प्रति किलोग्राम चान्दी की दर से इन धातुओं का अनुमानित बाजार मूल्य क्रमशः ₹7320 लाख व ₹5346 लाख (कुल लगभग ₹12666 लाख) है।** इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–53 दिनांकः 25/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी.ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। अतः सोने व चान्दी के समुचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 संशोधन –2011 की धारा 12(बी)(3) के अनुसार उपलब्ध कुल स्टॉक/मात्रा में से ***60 प्रतिशत चान्दी*** को तथा संशोधन –2011 की धारा 12(ए)(ए)(4) के अनुसार उपलब्ध स्टॉक/मात्रा में से ***50 प्रतिशत सोने*** को सिक्कों अथवा बिस्कुटों में परिवर्तित करके तत्समय प्रचलित बाजार दरों से बेचा जा सकता है।
2. परन्तुएक ही बार में ***बेच कर इन धातुओं का मौद्रीकरण करवाने के स्थान पर यदि इस मात्रा को भी सरकार की अनुमति से उपरोक्त निवेशित सोने के समान ही निवेश किया जाता है तो न केवल न्यास की सम्पत्ति संरक्षित रहेगी अपितु इसकी सुरक्षा पर किये जा रहे व्यय के स्थान पर यह ब्याज के रूप में एक सतत आय का साधन बनेगी। अतः तिजोरी में रखे गये सोने व चान्दी को भी जितनी अधिक मात्रा में सम्भव हो उतना किसी निवेश योजना में प्राथमिकता के आधार पर निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।***
3. इसके अतिरिक्त शेष बचे सोने व चान्दी को भी भारत सरकार की कम्पनी "Metals and Minerals Trading Corporation of India" अथवा किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से शुद्धिकरण करवाकर इनका भण्डारण किया जाए।

(7.12) मन्दिर न्यास द्वारा मोहरबंद जमा मूल्यवान वस्तुओं सरकारी कोषागार बिलासपुर को त्रैमासिक सेवा शुल्क ₹8120/– के भुगतान करना

अवधि 01/2017 से 12/2021 के व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि दिनाँक 12.07.2021 को रोकड़ बही पृष्ठ 160 पर वाउचर संख्या 305 द्वारा ₹8120/– का भुगतान अवधि

01.10.2019 से 30.09.2020 तक की एक वर्ष की अवधि के लिये जिला कोषाधिकारी बिलासपुर के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि यह भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा मोहरबंद जमा मूल्यवान वस्तुओं को जिला कोषागार में सुरक्षित जमा रखने के लिये हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली एवं विस्तृत कोष प्रणाली–2017 के नियम 71 के अनुसार त्रैमासिक सेवा शुल्क के रूप में किया गया है। परन्तु इन मूल्यवान वस्तुओं का कोई विवरण न तो हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अब तक किये गये अंकेक्षण के प्रतिवेदनों में और न ही मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत सोना चान्दी के स्टॉक रजिस्टरों में उपलब्ध है। मौखिक रूप से स्पष्ट किया गया कि यह वस्तुएं मन्दिर न्यास के अस्तित्व में आने से पहले से ही जिला कोषागार में संरक्षित रखी गई हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–37 दिनाँक 28.04.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी. ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। मन्दिर न्यास द्वारा अस्तित्व में आने के पश्चात से गत अनुच्छेदों में वर्णित दान में प्राप्त समस्त सोने व चान्दी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के प्रबन्धन, संरक्षण तथा भण्डारण की व्यवस्था अपने ही स्तर पर की जा रही है। अतः कोषागार में जमा इन वस्तुओं को भी वहां से निकालकर स्टॉक में इनका समुचित लेखांकन सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

(7.13) सोना, चान्दी व अन्य मूल्यवान वस्तुओं का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापनः–

प्रस्तुत अभिलेख की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सोना, चान्दी व अन्य मूल्यवान वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षणावधि के दौरान एक बार भी नहीं करवाया गया है। अन्तिम प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2002 में करवाये गये शुद्धिकरण के समय करवाया गया है। इतने समय तक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया जाना नियमों की अवहेलना के अतिरिक्त एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे में आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. वार्षिक बजट

अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के पाँच वर्षों के अनुमानित बजट तथा वास्तविक आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	आय		व्यय		बजट स्वीकृति विवरण
	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	
2017	23,95,00,000	22,08,36,129	25,06,51,000	17,50,30,752	न्यास बैठक दिनाँक 17.

					02.2017 को मद संख्या 1 द्वारा परित।
2018	24,27,00,000	23,59,65,496	28,37,04,000	15,29,84,259	न्यास बैठक दिनाँक 30. 07.2018 को मद संख्या 1 द्वारा परित।
2019	24,73,00,000	25,21,21,733	23,61,35,000	15,41,93,215	न्यास बैठक दिनाँक 19. 09.2019 को मद संख्या 74 द्वारा परित।
2020	26,27,80,000	13,07,26,470	26,24,73,000	17,49,24,200	न्यास बैठक दिनाँक 07. 02.2020 को मद संख्या 55 द्वारा परित।
2021	24,13,52,600	21,59,02,367	21,97,39,000	13,50,65,802	न्यास बैठक दिनाँक 02. 03.2021 को मद संख्या 1 द्वारा परित।

9. ₹1.93 लाख के फटे पुराने/कण्डम करन्सी नोटों को न बदलवाना

मन्दिर को दान में प्राप्त नकदी में कई बार फटे पुराने नोट भी आ जाते हैं। गणना के पश्चात इनका लेखाँकन अलग स्टॉक रजिस्टर में किया जाता है। इस रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि इन नोटों को अन्तिम बार दिनांक 19.12.2018 को ₹52235/– की राशि के लिये नये नोटों में बदलवा कर दैनिक आय रजिस्टर में पृष्ठ 24 पर दिनांक 20.12.2018 को लेखांकित किया गया है। लेकिन इसके पश्चात **परिशिष्ट ''19''** में दिये विवरणानुसार दिनाँक 31.12.2021 तक प्राप्त ₹192774/– की राशि को नये नोटों में नहीं बदलवाया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–9 दिनांकः 24/03/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–1901 दिनाँक 02–05–2023 द्वारा सूचित किया गया कि इस ₹192774/– की राशि सहित दिनाँक 09.04.2023 तक एकत्रित कुल ₹296127/– के फटे पुराने करन्सी नोटों को सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था/एजैन्ट से 6 प्रतिशत कमीशन पर दिनाँक 12.04.2023 को बदलवाकर प्राप्त ₹278359/– (296127 – 17768) की राशि को दैनिक आय रजिस्टर के पृष्ठ 4 पर इसी दिन लेखाँकित कर लिया गया है। इस अनुपालना की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है। अतः भविष्य हेतु सुनिश्चित किया जाये

कि इस प्रकार के फटे पुराने नोटों को यथासमय बदलवाकर न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10. मन्दिर न्यास की आय के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियां

(10.1) मन्दिर न्यास की दुकानों का ₹36.20 लाख किराया वसूली हेतु शेष

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार तथा मन्दिर न्यास द्वारा किराये पर दी गई दुकानों से सम्बधित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया है कि **परिशिष्ट ''20''** पर दिए विवरणानुसार दिनाँक 31.12.2021 को **₹36,19,560/–** की किराया राशि वसूली हेतु शेष है। इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(10.2) किराया वसूली हेतु सरकार द्वारा प्रतिपादित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करना

हिमाचल प्रदेश में सभी सम्पति मालिक तथा किरायेदार हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1987 (Himachal Pradesh Urban Rent Control Act, 1987), जो कि दिनांक 17.11.1971 से लागू माना गया है तथा हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण नियमावली, 1990 (Himachal Pradesh Urban Rent Control Rules, 1990)] के प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं। इस अधिनियम में सम्पति मालिक के नियमित किराया प्राप्ति, समयबद्ध किराया वृद्धि तथा किराया न देने वाले किरायेदारों से सम्पति खाली करवाने के अधिकारों को यथोचित तरीके से परिभाषित व सुरक्षित किया गया है। चूंकि उपरोक्त अधिकतर किरायेदार किराये के भुगतान में नियमित नहीं हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के नियम 14 के प्रावधानों के अधीन बहुत पहले से कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई है। अतः दुकानों के किराये में उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध वृद्धि न करने तथा किराया भुगतान समय पर न करने वाले किरायेदारों के विरूद्ध प्रावधित नियमों के अनुसार कार्रवाई न किया जाना बहुत ही चिन्तनीय है। अतः सुझाव दिया जाता है बकाया किराया की वसूली करने और किराया दरों को बाजार भाव के अनुसार तर्कसंगत बनाने के लिये अपेक्षित कदम यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके इन दुकानों को बाजार दरों के अनुसार अधिकतम किराये पर दिया जाये तथा किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध किया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार किराया वसूली में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

(10.3) विविध प्रकार की नीलामियों तथा ठेके/किराये पर दी गई सम्पत्तियों के किराये की ₹4.56 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''21''** पर

उपलब्ध करवाई गई सूचना, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, के अनुसार अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 तक के बीच विविध प्रकार की नीलामियों तथा ठेके/किराये पर दी गई सम्पत्तियों के किराये की ₹4,55,750/– की राशि दिनांक 31.03.2021 को वसूली हेतु शेष है। अतः इस बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0 स0	**मद**	**नीलामी अवधि**	**ठेकेदार का नाम**	**कुल वसूली योग्य वार्षिक राशि (₹)**	**कुल प्राप्त राशि (₹)**	**31.12.21 को बकाया राशि (₹)**
1	छत्र नीलामी	30.7.19 से 29.7.20	सतपाल सपुत्र वेद प्रकाश श्री नयना देवी जी	1,40,000	1,05,000	35000
2	छत्र नीलामी	1.3.21 से 28.2.22	–उपरोक्त–	1,20,000	30,000	90,000
3	बकरी नीलामी	1.3.21 से 28.2.22	राजेश कुमार सपुत्र अंबिका प्रसाद श्री नयना देवी जी	2,37,000	1,77,750	59,250
4	कार पाक्रिग	1.3.21.से 28.2.22	रणजीत सिंह सपुत्र डोडो राम गांव बडोह	11,02,000	8,30,500	2,71,500
						4,55,750

(10.4) पुराने/कबाड़ बिजली सामान की खुली बोली द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से ₹0.65 लाख कम कीमत पर बिक्री करने बारे।

मंदिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 के बीच निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार तीन बार बोली द्वारा पुराने/कबाड़ बिजली सामान की बिक्री की

गई है। इससे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि यह बिक्री नीलामी के लिये न्यास द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से भी कम कीमत पर की गई है। इस कारण न्यास को **रु65196/–** की वित्तीय हानि हुई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मंदिर न्यास श्री नयना देवी जी/अंकेक्षण 2017–21/ज्ञापन/46 दिनांकः 17/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी विद्युत अंकेक्षणः 2212 दिनाँक 23–05–2023 दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र.स.	नीलामी की दिनांक	निर्धारित न्यूनतम कीमत	नीलामी से प्राप्त राशि (₹)	कम प्राप्त राशि (₹)
1	31.01.2017	79000	70000	9000
2	29.10.2020	60500	45000	15500
3	15.01.2021	112196	71500	40696
			कुल राशि	**65196**

(10.5) दान व चढ़ावे में प्राप्त कपड़े की बिक्री की तय दर से कम राशि वसूल करने से ₹5150/– की हानि।

मन्दिर न्यास में श्रद्धालुओं द्वारा कपडा, साड़ी, शॉल, सूट पैन्ट, बच्चों के कपड़े आदि भी अर्पित किये जाते हैं। न्यास द्वारा इनकी बिक्री के लिये कपड़े की प्रकार के आधार पर दरें तय की जाती हैं। तत्पश्चात इच्छुक लोग इन्हें खरीद लेते हैं। बिक्री नस्ति की टिप्पणी संख्या 425–426 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अनुमोदित बिक्री दरों के आधार पर बेचे गये कपडा ,साडी व अन्य वस्तुओ के स्टॉक रजिस्टर तथा बिक्री फाईल की पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिकाओं में दिये विवरणानुसार निर्धारित दर से बेचने पर अपेक्षित बिक्री राशि ₹414590/– बनती थी परन्तु दैनिक आय रजिस्टर के अनुसार वसूल की गई वास्तविक राशि 409440 है , जो कि ₹5150/– से कम है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मंदिर न्यास श्री नयना देवी जी/अंकेक्षण 2017–21/ज्ञापन/56 दिनांकः 30/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी. ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा आश्वासन दिया कि अपेक्षित अनुपालना कार्रवाई अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कर ली जायेगी। अतः इस बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

तालिका –1

बेचा गया कपड़ा तथा निर्धारित दर से अपेक्षित विक्री राशिः–

क्रम	मद	बिक्री नस्ति की टिप्पणी संख्या 425–426 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अनुमोदित बिक्री दर प्रति ईकाई	बेची गई मात्रा/ ईकाईयां	अपेक्षित बिक्री राशि (₹)
1.	सूट	80	635	50800
2.	सूट	100	142	14200
3.	सूट	200	410	82000
4.	सूट	250	520	130000
5.	साड़ियाँ	80	140	11200
6.	साड़ियाँ	100	10	1000
7.	साड़ियाँ	200	50	10000
8.	साड़ियाँ	250	70	17500
9.	शॉल	100	670	67000
10.	शॉल	120	60	7200
11.	स्टोल	50	180	9000
12.	कोटी	150	27	4050
13.	कुर्ता पजामा	150	10	1500
14	बच्चे का सूट	50	10	500
15	जैन्टस सिला सूट	300	1	300
16	लोई	100	9	900
17	लोई	150	2	300
18	लोई	300	1	300
19	कमीज	40	40	1600
20	लहँगा	800	1	800
21	लहँगा	200	1	200
22	लहँगा	600	2	1200
23	लहँगा	1100	1	1100
24	पजामी	150	1	150
25	टी शर्ट	100	1	100

26	फ्रॉक	60	1	60
27	जैन्टस हुड	250	3	750
28	बच्चे का हुड	150	1	150
29	जैन्टस टी शर्ट	350	1	350
30	बच्चे का सिला सूट	60	3	180
31	लैडीज सिला सूट	100	2	200
		कुल अपेक्षित बिक्री राशि		**414590**

<u>तालिका– 2</u>

उपरोक्त बिक्री के विरुद्ध दैनिक आय रजिस्टर के अनुसार वसूल की गई राशिः–

क्रम	**दिनांक**	**दैनिक आय रजिस्टर पृष्ठ सख्या**	**वसूल की गई राशि (₹)**
1.	04.11.2020	338	330090
2.	05.11.2020	338	10800
3.	06.11.2020	338	1000
4.	07.11.2020	338	11100
5.	08.11.2020	340	14100
6.	09.11.2020	340	7000
7.	10.11.2020	340	1300
8.	16.11.2020	342	800
9.	25.12.2020	354	27800
10.	26.12.2020	354	2500
11.	27.12.2020	354	2500
12.	05.01.2021	358	450
		दैनिक आय रजिस्टर के अनुसार कुल वसूल की गई बिक्री राशि	**409440**

1	**कुल अपेक्षित बिक्री राशि**	**₹414590**
2	**दैनिक आय रजिस्टर के अनुसार कुल वसूल की गई बिक्री राशि**	**₹409440**
3	**अन्तर/कम वसूल की गई राशि**	**₹5150**

11. विदेशी मुद्राः–

(11.1) दानस्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को विनिमय हेतु जमा न करवाना

अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के अंकेक्षण में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दानस्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को भारतीय स्टेट बैंक शाखा नयना देवी जी में विनिमय हेतु जमा करवाया जाता है परन्तु अवधि 01.07.2021 से 31.12.2021 तक के छः माह में इसे जमा नहीं करवाया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर विनिमय हेतु जमा नहीं करवाई गई ऐसी विदेशी मुद्रा का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में तथा विस्तृत माहवार विवरण **परिशिष्ट "22"** पर संलग्न है। अतः इस विदेशी मुद्रा का विनिमय करवाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	**विदेशी मुद्रा का नाम**	**दिनांक 31.12.2021 को विनिमय हेतु शेष विदेशी मुद्रा राशि**
1	USA Dollars	1996
2	EURO	905
3	UAE Dirhams	2040
4	Canada Dollars	3900
5	Saudi Arabian Riyal	167
6	Australian Dollar	440
7	Malaysian Ringgit	30
8	Singapore Dollar	22
9	Qatar Riyal	676
10	England Pound	330
11	Newzeland Dollars	10
12	Kuwait Dinar	16

(11.2) बैंक द्वारा तकनीकी कारणों से वापिस की गई विदेशी मुद्रा को पुनः विनिमय हेतु जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा नयना देवी जी में विनिमय हेतु जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा में से कई बार कुछ मुद्रा/राशि किन्हीं तकनीकी कारणों से विनिमय किये बिना ही मूल रूप में वापिस

कर दी गई है जिसे न्यास द्वारा तिजोरी में रखा गया है। जबकि वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत इस मुद्रा को पुनः बैंक में विनिमय हेतु जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस विदेशी मुद्रा का विवरण **परिशिष्ट ''23''** में दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–30 दिनांकः 11/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी.–दानकक्ष –2023–1902 दिनाँक 02–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस विदेशी मुद्रा को पुनः बैंक को भेजकर प्राप्त राशि का विनिमय मूल्य न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(11.3) बैंक द्वारा 158 न्यूजीलैन्ड डॉलर का क्रैडिट नहीं दिये जाने बारेः–

अंकेक्षण में विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार 500 न्यूज़ीलैन्ड डॉलर भारतीय स्टेट बैंक शाखा नयना देवी जी में विनिमय हेतु जमा करवाए गये थे। इनमें से बैंक द्वारा दिनाँक 20.04.2017 को जारी मैमो क्रमाँक F0651A17PBS85108 के अनुसार केवल 342 डॉलर के विरूद्ध ₹15338.70/– का ही क्रैडिट दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–29 दिनांकः 11/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी. एन.डी.–दानकक्ष –2023–2074 दिनाँक 09–05–2023 द्वारा सूचित किया है कि इस मामले में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई कर ली जायेगी। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि का विनिमय मूल्य न्यास निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	विनिमय हेतु बैंक को भेजे गये पत्र का क्रमाँक	पत्र दिनाँक	विनिमय हेतु भेजे गये न्यूज़ीलैन्ड डॉलर की राशि
1	TTND/2016-065	12.01.2017	90
2	TTND/2017-551	15.02.2017	115
3	TTND/2017-850	09.03.2017	50
4	TTND/2017-1535	18.04.2017	245
5	**कुल योग**		**500**
6	बैंक द्वारा दिनाँक 20.04.2017 को दिया गया क्रैडिट		342
7	बैंक द्वारा दिनाँक 20.04.2017 को कम दिया गया क्रैडिट		158

12. पुजारी हिस्साः–

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–43 दिनांकः 06/05/2023 के प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी ने कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी–2232 दिनाँक 24–05–2023 द्वारा सूचित किया है कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 30.06.2015 तक देय सम्पूर्ण पुजारी हिस्से का वितरण किया जा चुका है। परन्तु वर्ष 2015 में पुजारी वर्ग के दो गुटों में आपसी विवाद हो जाने कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP 6819 of 2014 (श्री आशुतोश शर्मा एवं अन्य वनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य) में दिनाँक 29.06.2015 को जारी किये गये अन्तरिम स्थगनादेश के आधार पर इसके पश्चात पुजारी हिस्से का वितरण रोक दिया गया है। पुजारी हिस्सा मन्दिर न्यास के लिये एक प्रतिबद्ध देनदारी (Committed Liability) है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार इसका वार्षिक विवरण तैयार करके उसमें से गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई वसूलियों का समायोजन करने के पश्चात एक अलग संचित कोष (Reserve Fund) तैयार किया जाये ताकि भविष्य में माननीय न्यायालय के निर्णय के आधार पर मन्दिर न्यास को भुगतान करने में निधि/धन की उलब्धता सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न न हो।

13. निर्माण कार्यः–

(13.1) 332 सीमेन्ट बोरियों को निर्माण कार्य हेतु जारी न करने के कारण 0.91 लाख की हानि

अंकेक्षण अवधि के लिये सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 12.10.2020 को न्यास के पास 332 सीमेन्ट बोरियां शेष थीं। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक इस सीमेन्ट को किसी भी निर्माण कार्य हेतु जारी नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 61/23 द्वारा अनुरोध किया गया जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सीमेन्ट को अधिक समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बहुत जल्दी जम जाता है। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है सीमेन्ट की यह 332 बोरियां भी जम चुकी हैं क्योंकि इस दिनांक के बाद जो भी निर्माण कार्य न्यास द्वारा निष्पादित करवाये गये हैं उनमें सीमेन्ट का प्रयोग ठेकेदारों द्वारा स्वयं खरीद कर किया गया है। इस लापरवाही के कारण मन्दिर न्यास को 275 प्रति बोरी की निर्धारित दर (Issue Rate) से ₹91300 (332X275) की हानि हुई है। अतः इस प्रकरण की मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत पड़ताल करके, यदि अनियमितता पाई जाती है तो, उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.2) निर्माण कार्यों के बिलों से जल प्रभार (Water Charges) की ₹4.87 लाख की कटौती न करना

अंकेक्षण अवधि के निर्माण कार्य बिलों की नमूना पड़ताल में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण कार्य निष्पादन हेतु जो अनुबन्ध ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित किया गया है उसकी क्लॉज़ 31–ए (1) के अनुसार "The water charges @ one and half percent shall be recovered on gross amount of the work done." परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा निष्पादित कार्य की भुगतान राशि में से इस 1.5 प्रतिशत की निर्धारित दर से जल प्रभार की कटौती न करके ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया है। व्यय अंकेक्षण हेतु चयनित माह में निष्पादित निर्माण कार्य बिलों में इस प्रकार जल प्रभार की कटौती न करके ₹76281/– का तथा इसके अतिरिक्त अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 तक निष्पादित कार्यों में ₹410833/– **कुल ₹487114/–** का अधिक भुगतान किया गया है। इस भुगतान का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट "24.1 तथा 24.2"** पर संलग्न है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन 67/23 दिनांक 25.05.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस प्रकरण की मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत पड़ताल करके उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करते हुये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(13.3) विभिन्न निर्माण कार्यों में गलत गणना के कारण ठेकेदारों को ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण अवधि में व्यय अंकेक्षण हेतु चयनित माह के वाउचरों की पड़ताल में पाया कि कुछ निष्पादित निर्माण कार्यों के भुगतान के समय मापन पुस्तिका में गलत गणना के कारण ठेकेदारों को **₹14297/–** (8400 +1680 +1488 +600 +2129) की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण नीचे वर्णित है। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 57/23, 62/23, 63/23, 64/23 व 66/23 दिनांक 02.05.2023 तथा 24.05.2023 द्वारा मन्दिर अधिकारी को अवगत करवाया गया था जिसका उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रकरण की विस्तृत पड़ताल करके इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अंकेक्षण को अनुपालना से अवगत करवाया जाये।

1. गणना में चूक के कारण ₹8400 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Installation of CCTV Cameras in Temple Trust Shri Naina Devi ji
ठेकेदार	M/s Soft Touch Technologies Peer Nigah Malahat Nagar Una.

आबन्टन पत्र संख्या	BLS-TTND 17/9-18/2017 -643 dated 01-03-2018
मापन पुस्तिका	17515 page 94-99
वाउचर संख्या	390 of 05.06.18
रोकड़ बही पृष्ठ	161

Sr.	**Item No.**	**Item**	**Rate (₹)**	**Qty Paid**	**Actualy Executed Qty**	**Excess paid Qty**	**Excess Payment**
1	1	Supply, installation, testing & commissioning of verval proof & water proof etc.	8400 per unit	30	29	1	8400
						Total	**8400**

2. गणना में चूक के कारण ₹1680 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Development of Pedestrian path from Kolanwalan Toba RD 0/500 to 0/800 for TTND.
ठेकेदार	Sh. Mukesh Kumar Village Khaal.
आबन्टन पत्र संख्या	Swg.TTND Const.(MA)- 17/(12)-39/2019-1376-1385 dated 13.06.2020.
मापन पुस्तिका	22999 page 51-59
वाउचर संख्या	200 dated 20.04.21
रोकड़ बही पृष्ठ	96

Sr.	Item No.	Item	Rate ₹	Qty Paid	Actualy Executed Qty	Excess paid Qty	Excess Payment
1	8	Providing and laying C.C. 1:2:4 and curing complete i/c of form work in complete in all respect etc.	4800 per M^3	5.59 M^3	5.24 M^3	0.35 M^3	1680
						Total	**1680**

3. गणना में चूक के कारण ₹1488 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	c/o Fly over near Singh Dwar No. 2 for TTND ji.
ठेकेदार	Sh.Krishan Nand
आबन्टन पत्र संख्या	Swg.TTND Const.(MA)- 15/(09)-39/14-2019-451-460 dated 31.01.2020.
मापन पुस्तिका	22983 page 01-22
वाउचर संख्या	173 dated 07.04.21
रोकड़ बही पृष्ठ	83

Sr.	Item No.	Item	Rate ₹	Qty Paid	Actualy Executed Qty	Excess paid Qty	Excess Payment
1	4	Providing and laying C.C. 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work and reinforcement in etc.	5950 per M^3	19.77 M^3	19.52 M^3	0.25 M^3	1488
						Total	**1488**

4. गणना में चूक के कारण ₹600 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Development of Pedestrian path from Kolanwalan Toba RD 0/820 to 0/970 for TTND.
ठेकेदार	Sh.Sanjeev Kumar.
आबन्टन पत्र संख्या	Swg.TTND Const.(MA)- 17/(12)-40-2019-1329-1335 dated 13.06.2020.
मापन पुस्तिका	22978 page 76-82
वाउचर संख्या	201 dated 20.04.21
रोकड़ बही पृष्ठ	96

Sr.	Item No.	Item	Rate ₹	Qty Paid	Actualy Executed Qty	Excess paid Qty	Excess Payment
1	7	Boulder filling dry hand packed as under fioor, complete in all respect etc.	1000 per M^3	12.96 M^3	12.36 M^3	0.60 M^3	600
						Total	**600**

5. गणना में चूक के कारण ₹2129 का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	S/R and addition & alteration in existing water closet (toilet) alongside of Sarai No. 1 for TTND.
ठेकेदार	Sh.Krishan Lal.
आबन्टन पत्र संख्या	Swg.TTND Const.(T)- 16/(11)-21-2019-2017-1335 dated 03.06.2020.
मापन पुस्तिका	22998 Page 64-81
वाउचर संख्या	203 dated 20.04.21
रोकड़ बही पृष्ठ	97

Sr.	**Item No.**	**Item**	**Rate ₹**	**Qty Paid**	**Actualy Executed Qty**	**Excess paid Qty**	**Excess Payment**
1	11	P/F coloured glazed tiles 10mm thick in flooring, treads of steps etc.	1325 Per M^2	27.06 M^2	26.31 M^2	0.75 M^2	994
2	41	Steel works welded in builtup section trusses & framed work i/c cutting, hoisting, fixing in position and applying ctc.	8750 Per Qtl	3.75 Qtl	3.63 Qtl	0.12 Qtl	1050
3	18	Painting two coats	75 Per M^2	211.96	210.83	1.13	85

		on new concrete and plastered surfaces with enamel etc.		M^2	M^2	M^2	
						Total	**2129**

14. अस्थाई अग्रिमः–

मन्दिर न्यास द्वारा विविध व्यय हेतु जारी किये गये अग्रिमों के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ निम्न प्रकार से हैं:–

(14.1) मन्दिर न्यास द्वारा निक्षेप कार्य हेतु जारी ₹342.85 लाख के अस्थाई अग्रिमों का दिनांक 31.12.2021 को समायोजन हेतु शेष पाया जाना

मन्दिर न्यास प्रशासन द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु दिनांक 01.01.2017 से लेकर 31.12.2021 तक जारी अस्थाई अग्रिम राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि दिनांक 31.12.2021 तक ₹3,42,85,515/– की राशि **परिशिष्ट ''25''** में दिये विवरणानुसार समायोजन हेतु शेष थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके समायोजन हेतु न्यास प्रशासन द्वारा कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। ***यह विवरण अंकेक्षण द्वारा स्वयं रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया गया है क्योंकि मन्दिर न्यास द्वारा इनका संकलित विवरण अनुरक्षित नहीं किया गया है। अतः यह राशि वास्तव में असमायोजित अग्रिमों की सम्पूर्ण स्थिति दर्शाती है अथवा नहीं यह पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है।*** अतः अस्थाई अग्रिम राशियों का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इनका विस्तृत व सत्यापित विवरण तैयार करके सभी अग्रिमों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(14.2) अस्थाई अग्रिमों के रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः–

अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निरन्तर फुटकर व्यय एवं निर्माण कार्यों के व्यय हेतु अस्थाई अग्रिम राशियों का आहरण किया गया है। परन्तु इन अग्रिम राशियों के समायोजन अथवा प्रतिपूर्ति पर प्रबन्धकीय नियन्त्रण हेतु किसी प्रकार का संकलित ब्यौरा/रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करना एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस विषय पर अँकेक्षण द्वारा गत प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक इस सामान्य से सुझाव पर भी अपेक्षित अनुपालना करना उचित नहीं समझा है। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य हेतु निम्न प्रारूप में नियमानुसार न केवल न्यास कार्यालय द्वारा बल्कि स्कूल व कॉलेज आदि सम्बन्धित

संस्थाओं द्वारा भी इस अभिलेख को तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अस्थाई अग्रिमों के लेखांकन हेतु सुझाया गया अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का सम्भावित प्रारूपः–

अस्थाई अग्रिम आहरण का विवरण								अस्थाई अग्रिम समायोजन का विवरण			
क्र	दिनांक	वउचर	रोकड़ बही पृष्ठ	आहरण कर्ता	व्यय उद्देश्य	राशि	आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	दिनांक	वाउचर	रोकड़ बही पृष्ठ	आहरण व वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

15. पंचायती राज संस्थाओं को जारी किये गये अनुदानः–

अवधि 01/2017 से 12/2021 तक के लेखाओं के अंकेक्षण व्यय वाउचरों व रोकड़ बही की नमूना पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अनुदान जारी किये गये हैं। परन्तु इनसे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–43 दिनांकः 06/05/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी अंकेक्षण 17–21 –2306 दिनाँक 26–05–2023 द्वारा शीघ्र इस बारे में कार्रवाई करने बारे सूचित किया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इन उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	दिनांक	रो. ब. पृ.	चैक संख्या	कार्य का नाम	खण्ड विकास अधिकारी जिसके माध्यम से अनुदान वितरित किया गया	लाभार्थी ग्राम पंचायत/ समिति	अनुदान राशि (₹)
1	11.07.2017	214	689728	कनफारा घाट तक पानी टैंक निर्माण हेतु पाईप लाईन व्यय	खण्ड विकास अधिकारी स्वारघाट	ग्राम पंचायत खरकड़ी	1183300
2	17.07.2017	215	689729	गौशाला निर्माण हेतु	खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर	गौशाला विकास समिति जुखाला	1000000
3	17.07.2017	215	689729	गौशाला निर्माण हेतु	खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर	ग्राम पंचायत चान्दपुर	1000000
				कुल योगः–			**3183300**

16. स्थापना से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(16.1) श्री सोमनाथ, बहुद्देशीय कर्मचारी को मृत्यु ग्रैच्युटी व अवकाश नकदीकरण का ₹0.16 लाख का अनियमित व अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास में कार्यरत स्वर्गीय सोमनाथ, बहुद्देशीय कर्मचारी का देहांत 08.12.2016 को हो गया था। उस समय उनका मूल वेतन ₹12160/– था। परन्तु वाउचर संख्या 549 दिनांक 28.07.2017 द्वारा उनके आश्रितों को भुगतान किये गये मृत्यु ग्रैच्युटी व अवकाश नकदीकरण की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन लाभों की गणना ₹12160/– के स्थान पर ₹12530/– के मूल वेतन के साथ करके निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹15877/– का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 25/23 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः टी.टी.एन.डी–ऑडिट–1940 दिनांक 04.05. 2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली रसीद संख्या 26449 दिनांक 16.05. 2023 द्वारा कर ली गई है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण में ही कर ली गई।

क्रम	मद	अधिक भुगतान की गणना	राशि
1	मृत्यु ग्रैच्युटी का वास्तविक भुगतान	BP 12530+15913(DA@127%)=28443 Gratuity 28443×42×1/2 =597303	
2	मृत्यु ग्रैच्युटी का अपेक्षित भुगतान	BP 12160+15808(DA@130%)=27968 Gratuity 27968×42×1/ 2 =587328	
3	मृत्यु ग्रैच्युटी का अधिक भुगतान	597303-587328	9975

4	अवकाश नकदीकरण का वास्तविक भुगतान	BP 12530+15913(DA@127%)=28443 28443×255×1/30=241765	
5	अवकाश नकदीकरण का अपेक्षित भुगतान	BP 12160+15808(DA@130%)=27968 Gratuity 27968×253×1/30 =235863	
6	अवकाश नकदीकरण का अधिक भुगतान	241765-235863	5902
7	कुल अधिक भुगतान		15877

(16.2) सर्वश्री सतपाल, विभीषण तथा श्रीमति कुसुमलता सोमनाथ, बहुद्देशीय कर्मचारियों को वेतन व भत्ते के रूप में ₹1067/– का अधिक भुगतानः–

मन्दिर न्यास में कार्यरत सर्वश्री सतपाल, विभीषण तथा श्रीमति कुसुमलता सोमनाथ, बहुद्देशीय कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिकाओं में दिये विवरणानुसार दिनांक 01.10.2018 से 31.12.2021 तक वार्षिक वेतनवृद्धि की गलत गणना के कारण उन्हें वेतन व भत्तें के रूप में ₹1067/– प्रत्येक की दर से कुल ₹3201/– का अधिक भुगतान किया गया जिसे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 32/23, 34/23 व 37/23 दिनांक 21.03.2023 तथा 06.04.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः टी.टी.एन. डी–ऑडिट–19 दिनांक 04.05.2023 द्वारा अवगत करवाया गया उक्त राशि की वसूली रसीद संख्या 26695, 26696 तथा 266976 दिनांक 03.05.2023 द्वारा कर ली गई है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण में ही कर ली गई।

वेतनवृद्धि की गलत गणनाः–

क्रम	विवरण	दिनांक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वाषिक वेतनवृद्धि	1.10.18	10680 + 1900 =12580	10670 + 1900 =12570
2	वाषिक वेतनवृद्धि	1.10.19	11060 + 1900 =12960	11050 + 1900 =12950
3	वाषिक वेतनवृद्धि	1.10.20	11450 + 1900 =13350	11440 + 1900 =13340
4	वाषिक वेतनवृद्धि	1.10.21	11840 + 1900 =13750	11840 + 1900 =13740

अधिक भुगतान का विवरणः–

अवधि	देय मूल वेतन	भुगतान किया गया मूल वेतन	अन्तर	महंगाई भत्त दर %	महंगाई भत्त राशि	अन्तरिम राहत @ 21%	मासिक अधिक भुगतान	माह	कुल अधिक भुगतान (₹)
01.10.18 से 31.12.18	12570	12580	10	144	14.4	2.1	26.5	3	79.50
01.01.19 से	12570	12580	10	148	14.8	2.1	26.9	6	161.40

30.06.19									
01.07.19 से 30.09.19	12570	12580	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.20
01.10.19 से 31.12.19	12950	12960	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.20
01.01.20 से 30.06.20	12950	12960	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.40
01.07.20 से 30.09.20	12950	12960	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.20
01.10.20 से 31.12.20	13340	13350	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.20
01.01.21 से 30.06.21	13340	13350	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.40
01.07.21 से 30.09.21	13340	13350	10	159	15.9	2.1	28	3	84
01.10.21 से 31.12.21	13740	13750	10	159	15.9	2.1	28	3	84
योग									**1067**

(16.3) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री नरोत्तम दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय को वेतन व भत्ते के रूप में ₹0.25 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री नरोत्तम दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय की सेवा पंजिका की पड़ताल में पाया गया कि उन्हें अध्यक्ष मन्दिर न्यास के कार्यालय पत्र संख्याः TTND.Est.SSSC.04(43)06-(P)-2071-74 दिनांक 05.09.2020 द्वारा सामान्य सेवानिवृति दिनांक 30.11.2022 से सेमेस्टर के अन्त 31.05.2023 तक सेवा विस्तार दिया गया है। यह सेवा विस्तार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा मुकद्दमा संख्याः सी. डबल्यू. पी. 4312/2012–बी में दिये निर्णय "Every teacher shall retire at the age of 60 years. However, a teacher shall be allowed to continue in service till the end of the semester or the academic session even though he may have attained the age of 60 years" की अनुपालना में दिया गया था। श्री शर्मा को सेवाकाल में प्रतिवर्ष एक जनवरी को वार्षिक वेतनवृद्धि जारी की जाती थी तथा इसी आधार पर उन्हें दिनांक 01.01.2023 को भी वार्षिक वेतनवृद्धि जारी की गई है। परन्तु यह वेतनवृद्धि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित विभाग की अधिसूचना संख्याः Fin(c)-A(3)-2/2013-L दिनांक 23.06.2015 के प्रावधान "No increase in pay will be admissible to a Government Employee during the period of extension in service beyond the superannuation date and he will continue to draw the same pay which he was drawing at the time of superannuation i.e. on attaining the age of 58 years or 60 years as the case may be" की अवहेलना है। इस अनियमित वेतनवृद्धि के फलस्वरूप प्रधानाचार्य को 01.01.2023 से 31.03.2023 तक कुल ₹25152/– का अधिक भुगतान किया गया जिसके बारे में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 47/23 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या एस/(संस्कृत महाविद्यलय) 2023–92 दिनांक 15.05.2023 द्वारा सूचित किया कि इस अधिक भुगतान की वसूली माह 04/2023 के वेतन से कटौती करके कर ली गई है। इसके अतिरिक्त श्री शर्मा के वेतन में नियमानुसार आवश्यक संशोधन करते हुये उनका मूल वेतन ₹218200/– से कम करके ₹211800/– कर दिया गया है। इन दोनों तथ्यों का सत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया है।

अनियमित वेतनवृद्धि के कारण किया गया गलत वेतन निर्धारण तथा अधिक भुगतानः–

1	निर्धारित किया गया वेतन	₹218200
2	अपेक्षित वेतन निर्धारण	₹211800
3	वास्तविक मासिक वेतन भुगतान (मूल वेतन, ₹218200 + महंगाई भत्त 31% दर से, ₹67642)	₹285842
4	अपेक्षित मासिक वेतन भुगतान	₹277458

	(मूल वेतन, ₹211800 + महंगाई भत्त 31% दर से, ₹65658)	
5	अधिक मसिक भुगतान	₹8384
6	कुल अवधि	3 माह
7	**तीन माह के लिये कुल अधिक भुगतान**	**₹25152**

(16.4) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री जगदीश चन्द, सेवा निवृत प्रवक्ता श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय को वेतन व भत्ते के रूप में ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान

श्री जगदीश चन्द, सेवानिवृत प्रवक्ता श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय की सेवा पंजिका की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उन्हें गत अनुच्छेद में वर्णित मामले में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्णय की अनुपालना में अध्यक्ष मन्दिर न्यास के कार्यालय पत्र संख्याः TTND.Est.SSSC.04(43)06-(P)-2071-74 दिनांक 05.09.2020 द्वारा सामान्य सेवानिवृति दिनांक 31.08.2019 से सेमेस्टर के अन्त 31.05.2020 तक सेवा विस्तार दिया गया है। श्री जगदीश को सेवाकाल में प्रतिवर्ष एक जनवरी को वार्षिक वेतनवृद्धि जारी की जाती थी तथा इसी आधार पर उन्हें दिनांक 01.01.2020 को भी वार्षिक वेतनवृद्धि जारी की गई है। परन्तु यह वेतनवृद्धि उपरोक्त वर्णित हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना के निर्देशों की अवहेलना है। इस अनियमित वेतनवृद्धि के फलस्वरूप उक्त प्रवक्ता को 01.01.2020 से 31.05.2020 तक कुल ₹14660/– का अधिक भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री जगदीश चन्द दिनांक 31.08.2019 को उनके अवकाश खाते में शेष 177 दिन का अवकाश नकदीकरण लेने के अधिकारी थे परन्तु उनके सेवा विस्तार अवधि 31.08.2019 से 31.05.2020 तक 10 दिन प्रतिवर्ष की दर से 7 दिन का अनियमित अवकाश क्रैडिट देकर उन्हें 184 दिन का अवकाश नकदीकरण भुगतान किया गया है। इस मद में उन्हें निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹20974/– का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया है।

इस प्रकार श्री जगदीश को कुल ₹35634/– (14660+20974) का अनियमित व अधिक भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 55/23 दिनांक 01.05.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या एस/(संस्कृत महाविद्यालय) 2023–93 दिनांक 15.05.2023 द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अनियमित वेतनवृद्धि तथा अवकाश नकदीकरण अधिक भुगतानः–

1	निर्धारित किया गया वेतन	₹36600
2	अपेक्षित वेतन निर्धारण	₹35530
3	वास्तविक मासिक वेतन भुगतान (मूल वेतन, ₹36600 + महंगाई भत्त 153% दर से, ₹55998 + अन्तरिम राहत 21% दर से, ₹7686)	₹100284
4	अपेक्षित मासिक वेतन भुगतान (मूल वेतन, ₹35530 + महंगाई भत्त 153% दर से, ₹54361 + अन्तरिम राहत 21% दर से, ₹7461)	₹97352
5	अधिक मासिक भुगतान	₹2932
6	कुल अवधि	5 माह
7	**पांच माह के लिये कुल अधिक भुगतान (क)**	**₹14660**
8	अवकाश नकदीकरण का वास्तविक भुगतान 35530+ 54361= 89891/30 X 184	₹551331
9	अवकाश नकदीकरण का देय भुगतान 35530+54361= 89891/30 X 177	₹530357
10	**अवकाश नकदीकरण का कुल अधिक भुगतान (ख)**	**₹20974**
11	**उपरोक्त दोनो अनियमितताओं में कुल अधिक भुगतान (क+ख) (14660 + 20974)**	**₹35634**

(16.5) श्री महेन्द्र कुमार, बहुद्देशीय कर्मचारी को विशेष अवकाश अवधि में वार्षिक वेतनवृद्धि जारी करके ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान तथा उपलब्ध शेष की तुलना में 25 दिन का अधिक अवकाश स्वीकृत करना

श्री महेन्द्र कुमार, बहुद्देशीय कर्मचारी की सेवा पंजिका की अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं

1. दिनांक 20.04.2017 से 15.05.2017 तक व्यतीत 26 दिन के विशेष अवकाश को खाते से घटाया नहीं गया है। इस अनियमितता के कारण अवकाश खाते का शेष 26 दिन बढ़ गया और यह दिनांक 30.06.2021 को वास्तविक 54 दिन के स्थान पर 80 दिन दर्शाया गया है। इसी शेष के आधार पर उन्हें 13.04.2021 से 30.06.2021 तक 79 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया जोकि उपलब्ध 54 दिन के वास्तविक शेष की तुलना में 25 दिन अधिक है।

2. श्री महेन्द्र की सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक एक मई होने के कारण 01.05.2021 को को भी यथानुसार जारी की गई है। मन्दिर न्यास सेवा उपनियम के भाग 6 के नियम 6(1) के

अनुसार कोई भी कर्मचारी विशेष अवकाश अवधि में केवल अवकाश वेतन का अधिकारी है। परन्तु उक्त कर्मचारी को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिनांक 01.05.2021 से जारी करके 30.06.2021 तक दो माह में निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹2192/– का अधिक भुगतान किया गया है।

	विवरण	मासिक भुगतान	दो मास का भुगतान
1	दो मास के लिये किया गया वास्तविक भुगतान मूल वेतन+महंगाई भत्ता 153% अंतरिम राहत 21% 13740+ 21022+ 2885 = 37647	37647	75294
2	दो मास के लिये अपेक्षित भुगतान मूल वेतन महंगाई भत्ता 153% अंतरिम राहत 21% 13340+ 20410+ 2801 = 36551	36551	73102
3	कुल अधिक भुगतान (1 – 2)	1096	2192

इस सन्दर्भ में ज्ञापन संख्या 31/23 दिनांक 21.03.2023 द्वारा सूचित करवाये जाने पर मन्दिर अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या टी.टी.एन.डी.– ऑडिट– 2054 दिनांक 08.05.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि आपत्ति संख्या 1 की अनुपालना में उक्त कर्मचारी के पक्ष में अधिक स्वीकृत 25 दिन के अवकाश को नियमानुसार कार्रवाई करके इस अवधि के वेतन व भत्तों की वसूली तदानुसार कर ली जायेगी।

जबकि आपत्ति संख्या 2 की अनुपालना में ₹2192/– की वसूली रसीद संख्या 26694 दिनांक 03.05.2023 द्वारा किये जाने का सत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया है। अतः शेष अनियमितता बारे नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(16.6) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री परमानन्द, प्रारूपकार को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री परमानन्द, प्रारूपकार की सेवा पंजिका की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिकाओं में दिये विवरणानुसार दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2021 तक वाषिक वेतनवृद्धि की गलत गणना के कारण उन्हें वेतन व भत्तें के रूप में ₹1300/– का अधिक भुगतान किया गया जिसे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 48/23 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः टी.टी.एन.डी–ऑडिट–2051 दिनांक 08.05.2023 द्वारा अवगत करवाया गया उक्त राशि की वसूली रसीद संख्या 26403 दिनांक 17.05.2023 द्वारा कर ली गई है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण में ही कर ली गई।

वेतन वृद्धि की गलत गणनाः–

क्रम	विवरण	दिनांक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.01.2018	22960 + 4600=27560	22950+ 4600=27550
2	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.01.2019	23790+4600 = 28390	23780+ 4600=28380
3	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.01.2020	24650+4600 = 29250	24640+ 4600 =29240
4	वार्षिक वेतन वृद्धि	01.01.2021	25530 +4600 =30130	25520+ 4600 =30120

अधिक भुगतान का विवरणः—

अवधि	**देय मूल वेतन**	**वास्तविक भुगतान किया गया मूल वेतन**	**अन्तर**	**महंगाई भत्त दर %**	**महंगाई भत्त राशि**	**अन्तरिम राहत @ 21%**	**मासिक अधिक भुगतान**	**माह**	**कुल अधिक भुगतान**
01.01.18 से 30.06.18	27550	27560	10	140	14	1.7	25.7	6	154.2
01.07.18 से 31.12.18	27550	27560	10	144	14.4	2.1	26.5	6	159
01.01.19 से 30.06.19	28380	28390	10	148	14.8	2.1	26.9	6	161.4
01.07.19 से 31.12.19	28380	28390	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.4
01.01.20 से 30.06.20	29240	29250	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.4
01.07.20 से 31.12.20	29240	29250	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.4
01.01.21 से	30120	30130	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.4

30.06.21									
01.07.21 से 31.12.21	30120	30130	10	159	15.9	2.1	28	6	168
								योग	**1300**

(16.7) गलत वेतन निर्धारण के कारण श्रीमति प्रेमलता, कनिष्ठ सहायक को वेतन व भत्तों के रूप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतानः—

श्रीमति प्रेमलता कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिकाओं में दिये विवरणानुसार दिनांक 01.10.2018 से 31.12.2021 तक वार्षिक वेतनवृद्धि की गलत गणना के कारण उन्हें वेतन व भत्तों के रूप में ₹1067/— का अधिक भुगतान किया गया जिसे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 43/23 दिनांक 21.04.2023 द्वारा सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः एस/(संस्कृत महाविद्यालय) डी.एन.एम 2023—91 दिनांक 15.05.2023 द्वारा अवगत करवाया गया उक्त राशि की वसूली कर्मचारी के माह 05/2023 के वेतन बिल संख्या 332 दिनांक 02.06.2023 द्वारा कर ली गई है। इसकी पुष्टि अंकेक्षण में ही कर ली गई।

वेतन वृद्धि की गलत गणनाः—

क्रम	विवरण	दिनांक	निर्धारित किया गया वेतन	अपेक्षित वेतन निर्धारण
1	वार्षिक वेतन वृद्धि	1.10.18	13820+3600=17420	13810+3600=17410
2	वार्षिक वेतन वृद्धि	1.10.19	14350+3600=17950	14340+3600=17940
3	वार्षिक वेतन वृद्धि	1.10.20	14890+3600=18490	14880+3600=18480
4	वार्षिक वेतन वृद्धि	1.10.21	15450+3600=19050	15440+3600=19040

अधिक भुगतान का विवरणः—

अवधि	**देय**	**वास्तविक**	**अन्तर**	**महंगाई**	**महंगाई**	**अन्तरिम**	**मासिक**	**माह**	**कुल**

	मूल वेतन	भुगतान किया गया मूल वेतन		भत्त दर %	भत्त राशि	राहत @ 21%	अधिक भुगतान		अधिक भुगतान
01.10.18 से 31.12.18	17410	17420	10	144	14.4	2.1	26.5	3	79.5
01.01.19 से 30.06.19	17410	17420	10	148	14.8	2.1	26.9	6	161.4
01.07.19 से 30.09.19	17410	17420	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.2
01.10.19 से 31.12.19	17940	17950	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.2
01.01.20 से 30.06.20	17940	17950	10	153	15.3	2.1	27.4	6	164.4
01.07.20 से 30.09.20	17940	17950	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.2
01.10.20 से 31.12.20	18480	18490	10	153	15.3	2.1	27.4	3	82.2
01.01.21 से 30.06.21	18480	18490	10	153	15.3	2.1	27.4	**6**	164.4
01.07.21 से 30.09.21	18480	18490	10	159	15.9	2.1	28	**3**	84

01.10.21 से 31.12.21	19040	19050	10	159	15.9	2.1	28	**3**	84
							योग		**1067**

(16.8) श्री अरविन्द शोरी, वरिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में पाई गई विसंगतियाँ

श्री अरविन्द शोरी, वरिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका व निजी नस्ति के अवलोकन पर पाया गया है कि मन्दिर अधिकारी श्री नयना देवी जी के कार्यालय आदेश संख्या TTND/Personal/2018-685-686 दिनांक 22.02.2019 द्वारा उनका वेतन पुनर्निधारण नियुक्ति/नियमतीकरण की दिनांक 05.09.1996 से लेकर 01.12.2018 तक के लिये किया गया है। परन्तु सेवा पंजिका में इस आदेश को दर्ज करते समय दिनांक 01.09.2009 से प्रविष्टियों में आदेश की तुलना में निम्न तालिका अनुसार अन्तर पाया गया है। इसी चूक के कारण दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतनमान का लाभ जारी करते समय भी वेतन निर्धारण में अनियमितता पाई गई है।

क्रम	दिनांक	उपरोक्त कार्यालय आदेश द्वारा 01.12.2018 तक निर्धारित सही वेतन (₹)	सेवा पंजिका में दर्ज किया गया वेतन (₹)	टिप्पणी
1	27.08.2009	9490+2000=11490	9490+2000=11490	ACPS में 9 वर्ष की सेवा का लाभ।
2	01.09.2009	9840+2000=11840	9490+2000=11490	वार्षिक वेतन वृद्धि।
3	01.09.2010	10200+2000=12200	9840+2000=11840	वार्षिक वेतन वृद्धि।
4	05.09.2010	10570+2400=12970	10200+2400=12600	ACPS में 14 वर्ष की सेवा का लाभ।
5	01.09.2011	10960+2400=13360	10580+2400=12980	वार्षिक वेतन वृद्धि।
6	01.09.2012	11360+2400=13760	10970+2400=13370	वार्षिक वेतन वृद्धि।
7	01.10.2012	11360+3200=14560	10970+3200=14710	ग्रेड–पे संशोधन का लाभ।
8	01.09.2013	11800+3200=15000	11400+3200=14600	वार्षिक वेतन वृद्धि।
9	01.09.2014	12250+3200=15450	11840+3200=15040	वार्षिक वेतन वृद्धि।
10	30.11.2014	12250+3600=15850	11840+3600=15440	कनिष्ठ सहायक के रूप में

				स्थानापन्न
11	01.09.2015	12730+3600=16330	12310+3600=15910	वार्षिक वेतन वृद्धि।
12	01.09.2016	13220+3600=16820	12790+3600=16390	वार्षिक वेतन वृद्धि।
13	06.12.2016	13730+4400=18130	13290+4400=17690	वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति।
14	01.12.2017	14280+4400=18680	13820+4400=18220	वार्षिक वेतन वृद्धि।
15	01.12.2018	14840+4400=19240	14370+4400=18770	वार्षिक वेतन वृद्धि।
	टिप्पणीः— उपरोक्त अवधि के लिये सेवा पंजिका में प्रविटियों में इस अन्तर के कारण इसके पश्चात की वर्षिक वेतनवृद्धि की गणना भी अनियमित है।			
	दिनांक	अपेक्षित वेतन निर्धारण (₹)	सेवा पंजिका में दर्ज किया गया वेतन (₹)	टिप्पणी
16	01.12.2019	15420+4400=19820	14940+4400=19340	वार्षिक वेतन वृद्धि।
17	01.12.2020	16020+4400=20420	15520+4400=19920	वार्षिक वेतन वृद्धि।
18	01.12.2021	16640+4400=21040	16120+4400=20520	वार्षिक वेतन वृद्धि।
	2.59 फैक्टर के साथ दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन (इसमें 01.10.2012 से 31.12.2015 तक का निम्नलिखित काल्पनिक वेतन निर्धारण भी सम्मिलित है):— 01.09.2012—13760, 01.09.2013—14180, 01.09.2014—14610, 30.11.2014—15010, 01.09.2015—15460 15460×2.59=40041			
19	01.01.2016	L7, C13=41200	L7, C12=40000	वेतन संशोधन का लाभ।
20	01.09.2016	L7, C14=42400	L7, C13=41200	वार्षिक वेतन वृद्धि।
21	06.12.2016	L11, C6=44700	L11, C5=43400	वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति।
22	01.12.2017	L11, C7=46000	L11, C6=44700	वार्षिक वेतन वृद्धि।
23	01.12.2018	L11, C8=47400	L11, C7=46000	वार्षिक वेतन वृद्धि।
24	01.12.2019	L11, C9=48800	L11, C8=47400	वार्षिक वेतन वृद्धि।
25	01.12.2020	L11, C10=50300	L11, C9=48800	वार्षिक वेतन वृद्धि।

26	01.12.2021	L11, C11=51800	L11, C10=50300	वार्षिक वेतन वृद्धि।
27	01.12.2022	L11, C12=53400	L11, C11=51800	वार्षिक वेतन वृद्धि।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–56 दिनांकः 27/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर ली जायेगी। अतः इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.9) स्थापना से सम्बन्धित विविध अनियमितताएंः–

कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं तथा निजी नस्तियों की नमूना अंकेक्षण में अलग–अलग कर्मचारियों के सन्दर्भ में नियुक्ति अथवा नियमतीकरण के समय प्रावधित नियमों की अनुपालना में संलग्न **परिशिष्ट "26"** में वर्णित विविध अनियमितताएं पाई गई हैं। इन अनियमितताओं में प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास (संशोधन) अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 3 तथा पुनः संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 3(8) की अनुपालना में सेवा शर्तों को मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार नियुक्ति अथवा नियमतीकरण आदेशों में प्रावधित शर्तों का भी पूर्ण पालन नहीं किया गया है। इन विविध अनियमितताओं के सन्दर्भ में समय–समय पर अंकेक्षण ज्ञापन जारी किये गये जिनका विवरण तथा मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उतर भी उक्त परिशिष्ट में वर्णित है जोकि सन्तोषजनक नहीं पाया गया हैं। अतः अब इन प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.10) न्यास कर्मचारियों के विशेष अवकाश खातों में पाई गई अनियमितताएँ

मन्दिर न्यास कर्मचारियों के लिये प्रतिपादित सेवा उप नियम 1994 सहपठित उक्त नियम संशोधन 1996 के नियम VI/5–12 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी एक कैलेन्डर वर्ष में 20 दिन के विशेष अवकाश का अधिकारी होगा जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिये प्रावधित अर्जित अवकाश की तरह ही वर्ष में दो बार एक जनवरी तथा एक जुलाई को अवकाश खाते में 10–10 करके अग्रिम जमा किया जायेगा। इन अवकाश खातों की अंकेक्षण में निम्न तालिका में वर्णित कुछ कर्मचारियों के खातों में पाई गई अनियतिताओं बारे ज्ञापन संख्या 23/23 दिनांक 06.03.2023 तथा 36/23 दिनांक 06.04.2023 से सूचित करने पर मन्दिर अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या टी.टी.एन.डी.–ऑडिट– 1936 दिनांक 04.05.2023 तथा 2039 दिनांक 07.05.2023 द्वारा की गई अनुपालना बारे अवगत करवाने पर इसका सत्यापन कर लिया गया है।

क्रम	कर्मचारी का नाम व पदनाम	त्रुटि का विवरण

1	श्री धर्मपाल, बहुद्देशीय कर्मचारी	दिनांक 07.08.2020 18.08.2020 तक 12 दिन, 18.07.2021 से 25.07.2021 तक 8 दिन तथा 09.12.2021 से 12.12.2021 तक 4 दिन कुल 24 दिन का अवकाश व्यतीत करने के पश्चात खाते का शेष 60 दिन के स्थान पर 84 दिन दर्शाकर 24 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
2	श्री धनीराम, बहुद्देशीय कर्मचारी	अवकाश खाते का दिनांक 31.12.2021 को अन्तशेष 117 दिन के स्थान पर 127 दिन दर्शाकर 10 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
3	श्री कमलजीत, बहुद्देशीय कर्मचारी	अवकाश खाते का दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष 154 दिन के स्थान पर 155 दिन दर्शाकर 1 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
4	श्री बुधी सिंह, बहुद्देशीय कर्मचारी	दिनांक 05.012020 से 31.01.2020 तक व्यतीत किये 27 दिन के अवकाश को 26 दिन दर्ज करके 1 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
5	श्री पोला राम, बहुद्देशीय कर्मचारी	अवकाश खाते का दिनांक 30.06.2020 को अन्तशेष 108 दिन के स्थान पर 124 दिन दर्शाकर 16 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
6	श्री देस राज, बहुद्देशीय कर्मचारी	अवकाश खाते का दिनांक 30.06.2021 को अन्तशेष 102 दिन के स्थान पर 112 दिन दर्शाकर 10 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 04.02.2017 से 06.02.2017 तक के 3 दिन के अवकाश का खाते में इन्द्राज न करके 3 दिन के अनियमित लाभ सहित कुल 13 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।
7	श्री सुच्चा सिंह, बहुद्देशीय कर्मचारी	वर्ष 2019 में सेवा पंजिका में 20 दिनों के विशेष अवकाश को दो बार क्रैडिट करके 20 दिन का अनियमित लाभ दिया गया है।

17. व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं

(17.1) मन्दिर न्यास के मुख्य कोष से किये गये व्यय व भुगतान वाउचरों में पाई गई अनियमितताओं बारे।

मन्दिर न्यास के अवधि 01/2017 से 12/2021 के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में निम्न तालिका में वर्णित कुछ व्यय वाउचरों में अधिक भुगतान अथवा अन्य अनियमितताएँ पाई गई हैं।

(17.1.1) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत प्राधिकरण को बिजली खपत के लिये अधिक भुगतान करनाः–

रोकड़ बही पृष्ठ 351 पर वाउचर संख्या 707 द्वारा दिनाँक 24.12.2019 को ₹20407/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत प्राधिकरण के पक्ष में मीटर संख्या NDS-I NDSNCS से की गई बिजली खपत के लिये किया गया है। इस बिल में निम्नलिखित मदें शामिल थीं:–

1. ऐनर्जी चार्ज ₹18650
2. कन्ज़्यूमर सर्विस चार्ज ₹130
3. मीटर रैन्ट ₹30
4. ऐनर्जी डयूटी ₹560
5. एम. सी. टैक्स ₹37
6. कुल योग ₹19407

परन्तु गणना की चूक के कारण विद्युत प्राधिकरण द्वारा हस्तलिखित बिल ₹20407 के लिये जारी किया जिसे मन्दिर न्यास द्वारा बिना पड़ताल किऐ अथवा अपेक्षित चूक सुधार करवाऐ बिना ही सम्पूर्ण राशि के लिये भुगतान करके ₹1000/– (20407 – 19407) का अधिक भुगतान किया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–40 दिनांकः 03/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी विद्युत मीटर–2122 दिनाँक 15–05–2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सहायक अभियन्ता विद्युत अनुभाग कोट, डाकघर कोला वाला टोबा, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर को अवगत करवा दिया गया है। आपेक्षित राशि प्राप्ति पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अथवा विद्युत बोर्ड से समायोजित करवाई जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.1.2) निविदा के आधार पर अनुमोदित दर की तुलना में फर्म को खरीद का भुगतान अधिक दर से करके कुल ₹2280/– का अधिक भुगतान करना

मन्दिर न्यास के व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल करने पर पाया गया कि सेपु बड़ियाँ मै• पँजाब स्टोर आनन्दपुर साहिब तथा छोटी इलायची, छुआरे व शहद की खरीद हेतु मै• खन्ना ट्रेडर्ज़ श्री नयना देवी जी से करने के लिये निविदा के आधार निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार जो दर अनुमोदित की गई थी उसकी तुलना में फर्म को खरीद का भुगतान अधिक दर से करके कुल ₹2280/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–40 दिनांकः 03/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–टीटीएनडी ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात आवश्यक कार्रवाई कर ली जायेगी।

क्रम	**वाउचर संख्या/ दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**वस्तु**	**खरीदी गई मात्रा (किलोग्राम)**	**अनुमोदित दर प्रति किलोग्राम (₹)**	**वास्तव में भुगतान की गई दर प्रति किलोग्राम (₹)**	**अधिक भुगतान की गई राशि (₹)**
1	208/ 21.04.2021	98	सेपु बड़ियाँ	15 किलोग्राम	100	200	1500
2	209/ 21.04.2021	98	छोटी इलायची	500 ग्राम	3000	3200	100
3	209/ 21.04.2021	98	छुआरे	4 किलोग्राम	200	250	200
4	209/ 21.04.2021	98	शहद	2 किलोग्राम	400	640	480
	कुल योग						**2280**

(17.1.3) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई व वित्त पोषित ''मुस्कान योजना'' के अन्तर्गत ₹2.00 लाख की राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर को हस्तांतरित करना

मन्दिर न्यास के व्यय वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई व वित्त पोषित ''मुस्कान योजना'' के अन्तर्गत निम्न विवरणानुसार ₹2,00,000/— बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर को हस्तांतरित किए गए हैं। परन्तु इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई प्राथमिकता पर की जानी अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017—2021/ज्ञापन—40 दिनांकः 03/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या— टीटीएनडी ऑडिट/2023—2356 दिनाँक 02—06—2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात आवश्यक कार्रवाई कर ली जायेगी।

क्र	दिनांक	वाउचर सं.	रोकड़ बही पृष्ठ	चैक सं.	विवरण	राशि
1	17.04.17	275	112	689666	मुस्कान योजना	100000
2	18.8.17	641	252	690058	मुस्कान योजना	100000
					कुल योग	**200000**

(17.1.4) कोविड—19 महामारी के दौरान ₹3.54 लाख की खाद्य सामग्री की खरीद के बिलों की छायाप्रतियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना

मन्दिर न्यास के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार कोविड—19 महामारी के दौरान ₹3,54,000/— की खाद्य सामग्री की खरीद के विरूद्ध वाउचर नस्ति में आपूर्तीकर्ता के मूल बिलों के स्थान पर इनकी छाया प्रतियाँ ही उपलब्ध हैं। मौखिक रूप से बताया गया है कि मूल बिल प्रतिपूर्ती हेतु उपमण्डल अधिकारी श्री नयनादेवी जी के कार्यालय में जमा किये गये हैं। परन्तु अंकेक्षण किये जाने तक यह प्रतिपूर्ती मन्दिर न्यास द्वारा नहीं की गई है। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र की जाये।

क्रम	वाउचर	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वस्तु	आपूर्तीकर्ता	चैक संख्या	राशि (₹)
1	207	7.4.20	102	चावल	मै• मंगत राय राकेश कुमार खन्ना पंजाब	811824	234000
2	212	22.4.20	110	आटा	मै• अम्बे रोलर फलोर मिल खन्ना पंजाब	811827	120000
					कुल योग		**354000**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–40 दिनांकः 03/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात आवश्यक कार्रवाई कर ली जायेगी। अतः इस बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.2) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित प्रसाद दुकान के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं:–

(17.2.1) इलैक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन द्वारा डिजिटल रसीदें जारी करने से पूर्व छपवाये गये ₹21.73 लाख की राशि के अप्रयुक्त कूपनों का स्टॉक में शेष होना

दुकान के अभिलेख की नमूना पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 30.04.2019 तक प्रसाद तथा अन्य चढ़ावा सामग्री की बिक्री मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के पहले से छपवाये गये कूपनों (Pre-printed coupens of different denominations) के विरूद्ध की जाती थी। यह कूपन मन्दिर न्यास द्वारा बड़ी मात्रा में छपवाकर आवश्यकतानुसार छोटी मात्रा में दुकान को जारी किये जाते थे। इस कारण किसी भी एक समय पर कुछ अप्रयुक्त कूपन मन्दिर न्यास के कूपन स्टॉक रजिस्टर में जबकि कुछ दुकान के बिक्री रजिस्टर में शेष होते थे। मन्दिर न्यास द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दिनाँक 01.05.2019 से दुकान पर बिक्री के विरूद्ध डिजिटल रसीदें जारी करने हेतु इलैक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन स्थापित करके पहले से छपवाये गये कूपनों का प्रयोग बन्द कर दिया गया। इस दिन न्यास तथा दुकान के स्टॉक में

निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार विभिन्न मूल्यवर्ग के कुल ₹21,72,500/– की राशि के अप्रयुक्त कूपन शेष थे।

क्रम	स्टॉक/ बिक्री रजिस्टर पृष्ठ	रजिस्टर	कूपन मूल्यवर्ग (₹)	शेष बचे कूपनों की क्रमाँक संख्या	शेष बचे कुल कूपन	शेष बचे कूपनों का मूल्य (₹)
1	29	कूपन स्टॉक रजिस्टर	5	3001 से 10000	7000	35000
2	86	कूपन बिक्री रजिस्टर	10	44901 से 46000	1100	11000
3	31	कूपन स्टॉक रजिस्टर	10	46001 से 70000	24000	240000
4	33	कूपन स्टॉक रजिस्टर	20	52001 से 70000	18000	360000
5	87	कूपन बिक्री रजिस्टर	50	24331 से 25000	670	33500
6	43	कूपन स्टॉक रजिस्टर	50	26001 से 50000	25000	1250000
7	87	कूपन बिक्री रजिस्टर	100	97571 से 98000	430	43000
8	39	कूपन स्टॉक रजिस्टर	100	98000 से 100000	2000	200000
		कुल योगः				**2172500**

यह पूर्व–मुद्रित कूपन ₹21,72,500/– की भारी भरकम नकद राशि के ही समान हैं तथा लपरवाही से इनके संरक्षण के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दुकान में रखे इन अप्रयुक्त कूपनों में से कुछ अथवा सबका प्रयोग अनुचित/अवैध रूप नहीं किया गया है इस तथ्य के सत्यापन हेतु किसी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इलैक्ट्रॉनिक बिलिंग प्रणाली आरम्भ किये जाने के पश्चात इन अप्रयुक्त कूपनों को सुरक्षित रखा जाना अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात इन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–08 दिनांकः 21/03/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी दुकान–1454 दिनाँक 29–03–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इन कूपनों का भविष्य में प्रयोग की सम्भावना, यदि कोई है, के दृष्टिगत सुरक्षित तरीके से संरक्षण अथवा नियमानुसार नष्ट किया जाना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.2.2) निविदा में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से ₹1440 का भुगतान करना

दुकान से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी दुकान/2019–4296–4298 दिनाँक 14–10–2019 द्वारा दुकान पर परमल चावल (फीका चावल खील प्रसाद) की खरीद हेतु मै॰ ललित ट्रेडर्ज़ श्री नयना देवी जी से करने के लिये निविदा के आधार पर ₹33/– प्रति किलोग्राम की दर अनुमोदित की गई थी। परन्तु निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार इस फर्म को परमल चावल की खरीद का भुगतान ₹34/– प्रति किलोग्राम की दर से करके कुल ₹1440/– का अधिक भुगतान किया गया है।

क्रम	वाउचर संख्या/ दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	खरीदी गई मात्रा (किलोग्राम)	अनुमोदित दर प्रति किलोग्राम (₹)	भुगतान की गई दर प्रति किलोग्राम (₹)	₹1/– प्रति किलोग्राम की दर से अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	17/ 29.02.2020	38	900	33	34	900
2	50/ 16.12.2020	119	540	33	34	540
	कुल योग					**1440**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–14 दिनांकः 03/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी दुकान–2139 दिनाँक 17–05–2023 द्वारा सूचित किया गया कि इस राशि की वसूली वर्तमान अंकेक्षण के दौरान उक्त फर्म के बिल संख्या 7 दिनाँक 12.03.2023 द्वारा आपूर्ती की गई ₹151462/– की राशि की सामग्री का भुगतान करते समय वाउचर संख्या 46 दिनाँक 06.04.2023 में से कटौती करके कर ली गई है जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया।

(17.2.3) दुकान में निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा किये बिना ₹0.67 लाख की सामग्री की खरीद करना

हि॰प्र॰ वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 97 से 111 के अन्तर्गत सरकारी व अर्धसरकारी विभागों संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है। दुकान से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹67287/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए

बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	दिनांक	रो0 ब0 पृष्ठ	वाउचर	विवरण	राशि (₹)
1	19.06.2018	108	51	बोतलबंद पानी	7700
2	19.06.2018	108	51	बोतलबंद पानी	7700
3	16.09.2019	161	62	बेसन	6600
4	16.09.2019	163	67	बोतलबंद पानी	45287
				कुल योग	**₹67287**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–13 दिनांकः 03/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी दुकान–2141 दिनाँक 17–05–2023 दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.2.4) निविदा धरोहर राशियों का रजिस्टर में लेखांकन न करना

दुकान से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल करने पर पाया गया कि सामग्री आपूर्ती हेतु अनुमोदित निविदाओं के विरूद्ध प्रतिभूति राशियाँ ली गई थीं जो कि मन्दिर न्यास लिये देनदारियाँ हैं। नियमानुसार इन प्रतिभूति राशियों का लेखाँकन प्रतिभूति रजिस्टर में भी किया जाना चाहिये ताकि किसी भी समय न्यास के ऊपर कितनी देनदारी है इसका संकलित अभिलेख उपलब्ध हो। प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि दिनाँक 31.12.2021 को दुकान से सम्बन्धित इस प्रकार की प्रतिभूति की निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹97000/– राशि देनदारी के रूप में थी। परन्तु इनके लेखाँकन हेतु कोई रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया है।

क्रम	**आपूर्तिकर्ता**	**प्रतिभूति राशि (₹)**
1	धवन ट्रेडिंग, नालागढ़।	25000
2	श्रीनाथ एन्ड सन्स, कोलां वाला टोबा।	20000
3	पवन कुमार प्रसाद वाले।	5000
4	कौशल एन्टरप्राईज़िज़, कोलां वाला टोबा।	10000
5	परमजीत सपुत्र सुखराम, सलोआ, बाँस टोकरी आपूर्ती।	2000

6	भगवती ट्रेडर्ज़, कृष्णनगर रोपड़।	10000
7	श्री नयना ट्रेडर्ज़, श्री नयनादेवीजी।	25000
	कुल योग	**97000**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–14 दिनांकः 03/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी दुकान–2139 दिनाँक 17–05–2023 दिया गया उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त निम्न तालिका में दिये प्रारूप के अनुसार प्रतिभूति रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

प्रतिभूतियों के लेखांकन हेतु सुझाया गया प्रतिभूती रजिस्टर का सम्भावित प्रारूपः–

जमा प्रतिभूतियों का विवरण							प्रतिभूति वापिसी का विवरण				
क्र•	जमा दिनांक	फर्म का नाम	आपूर्ती की गई सामग्री	बैंक ड्राफ्ट/चैक/रसीद	प्रतिभूति राशि	टिप्पणी	वापिसी दिनांक	वाउचर संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ	भुगतान राशि	टिप्पणी

(17.3) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय से सेवानिवृत श्री जगदीश चन्द, आचार्य को विशेष अवकाश नकदीकरण का ₹5.51 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग/शिमला/ 2022/–264 दिनांकः 17/11/2022 के प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–98 दिनाँक 19–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय से दिनाँक 31.05.2020 को सेवानिवृत श्री जगदीश चन्द, आचार्य को ₹5,51,331/– का भुगतान अवकाश नकदीकरण के रूप में किया गया है।

श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नयना देवी जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ गैर सरकारी महाविद्यालय (Non Government Affiliated Colleges) के रूप में सम्बद्ध है। इस कारण इसका प्रबन्धन ''हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश'' के अध्याय 38 के प्रावधानों

के अनुसार किया जाना अपेक्षित है और Rule 45 of Appendix 'A' to Chapter XXXVIII Paragraph 38.5 B(d) Part-1 (Leave Rules For Teachers of Non Government Affiliated Colleges -Rule 38 to 54) के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यास द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों के लिये सेवानिवृति के समय किसी प्रकार के अवकाश नकदीकरण का लाभ प्राविधित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि श्री जगदीश चन्द को भुगतान किया गया ₹5,51,331/– का अवकाश नकदीकरण अनियमित है। इसके अतिरिक्त इनसे पूर्व सेवानिवृत महाविद्यालय अध्यापकों को भी इसी प्रकार से अनियमित अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया गया है। यह लाभ किन नियमों के अनुसार जारी किया गया है इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–54 दिनांकः 26/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टी.टी.एन.डी. ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अतः अब इस बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण के अतिरिक्त यदि इस भुगतान के लिये कोई प्रावधान उपलब्ध न हो तो नियमानुसार इस राशि के साथ–साथ इससे पूर्व में भी किये गये इस प्रकार के भुगतानों की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(17.4) मन्दिर न्यास के वाहन संख्या HP-24C-0127 तथा HP-24C-0112 की लॉगबुक पड़ताल में पाई गई अनियतिताएँ

अंकेक्षण में मन्दिर न्यास के वाहन संख्या HP24C 0127 तथा HP24C 0112 की लॉगबुक पड़ताल में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई हैंः–

1. दिनाँक 14.02.2019 से 31.03.2019 तक वाहन संख्या HP-24C-0127 का प्रयोग 1321 किलोमीटर की यात्रा के लिये चुनाव विभाग द्वारा किया गया है। प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया है कि इस अवधि में वाहन में ₹20409/– का 321 लीटर ईंधन ₹63.58/– प्रति लीटर की दर से भरवाने के साथ–साथ मुरम्मत आदि का व्यय मन्दिर न्यास द्वारा ही किया गया है। जबकि नियमानुसार यह चुनाव विभाग द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित था। यदि यह व्यय समय की आवश्यकता को देखते हुये मन्दिर न्यास द्वारा किया भी गया था तो इसकी प्रतिपूर्ती चुनाव विभाग से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।
2. दिनांक 01.05.2019 से लेकर 31.05.2019 तक लॉगबुक पृष्ठ 181 के अनुसार टाटा मिनी ट्रक वाहन संख्या HP-24C-0112 में ₹29585/– (4944.75+4944.75+4893.75+4893.75+4953.

75+4953.75) का 450 लीटर (75+75+75+75+75+75) ईंधन/डीजल ₹65.74/– प्रति लीटर की औसत दर से भरवाया गया है। इस माह में ईंधन का आरम्भिक शेष 87 लीटर था। इस 537 लीटर ईंधन में से माह के दौरान प्रयोग किये गये 341 लीटर ईंधन के पश्चात शेष 196 लीटर (537 – 341) ईंधन बचता है परन्तु लॉगबुक पृष्ठ 181 पर दिनाँक 31.05.2019 को यह शेष 109 लीटर दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹5719/– (87×65.74) के 87 लीटर डीजल/ईंधन का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–42 दिनांकः 04/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– टीटीएनडी ऑडिट/2023–2356 दिनाँक 02–06–2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्रमांक 1 के बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति पश्चात आवश्यक कार्रवाई कर ली जायेगी। जबकि क्रमांक 2 पर वर्णित ₹5719/– की राशि की वसूली दोषी से रसीद संख्या 26443 दिनांक 25.05.2023 द्वारा कर ली गई जिसका सत्यापन मूल अभिलेख से अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है। अतः क्रमांक 1 के बारे में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18. मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के छात्र निधियों व शुल्कों के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

(18.1) मिश्रित निधि से किये गये ₹29.68 लाख के निवेष का विवरण

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा **परिशिष्ट ''27''** पर उपलब्ध करवाई गई विस्तृत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.12.2021 को मिश्रित निधि से सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	निधि	खाता संख्या	बैंक	निवेषित राषि (₹)
1	मिश्रित निधि	35421304252	भारतीय स्टेट बैंक	**349191**
2	मिश्रित निधि	31301960375	भारतीय स्टेट बैंक	**538682**
3	मिश्रित निधि	39849099187	भारतीय स्टेट बैंक	**2079726**
	कुल योग			**2967599**

(18.2) मिश्रित निधि से निवेश की गई ₹29.68 लाख की राशियों को रोकड़ बही के शेष से बाहर रखना

संस्कृत महाविद्यालय के छात्र निधि सन्ग्रहण रजिस्टर की पड़ताल में पाया कि गत पैरा में वर्णित सावधि निवेश जमा, जिसका दिनांक 31—12—2021 को निवेश/पुर्ननिवेश मूल्य ₹29,67,599/— है, को निवेश करते समय निधि शेष से व्यय की तरह कम करके लेखांकित करके अन्तशेष से बाहर कर दिया गया है। जिस कारण निधियों के मासिक अन्तशेष लेखांकन के मूल सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक एवं सम्पूर्ण स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017—2021/ज्ञापन—35 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या— एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023—97 दिनाँक 19—05—2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(18.3) सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर बैंक द्वारा ₹0.24 लाख का कम ब्याज प्रदान करना

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से किये गये बैंक सावधि निवेशों पर अर्जित ब्याज की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 01/2017 से 12/2021 के पाँच वर्षों में बैंक द्वारा संलग्न **परिशिष्ट ''28''** पर दिये विवरणानुसार निवेश पत्र पर दर्ज परिपक्वता राशि की तुलना में ₹24374/— का कम ब्याज जमा किया गया जो कि सम्भवतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती से सम्बन्धित है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23C)(iiiab) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की आय को आयकर भुगतान से मुक्त रखा गया है। इस कारण मन्दिर न्यास द्वारा बैंक में सावधि निवेश करते समय बैंक को नियमानुसार इस प्रावधान की जानकारी देना अपेक्षित था जिससे कि आयकर कटौती न की जाये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017—2021/ज्ञापन—35 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या— एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023—97 दिनाँक 19—05—2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकरण की विस्तृत पड़ताल सुनिश्चित करके बैंक से इस राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(18.4) छात्र निधियों के लिये किसी भी प्रकार की रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं करनाः–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ऑर्डिनैन्स के नियम 42.1 (ए) के अनुसार "Student's funds, by whatever name they may be called, shall be kept separate from other funds of the college, and a separate account shall be maintained of these funds under the title 'Amalagmated fund." इस प्रावधान से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से किसी भी नाम से वसूल की गई निधियों को समामेलित (Amalgamate) करके एक ही खाते में जमा करवा कर इनका लेखांकन समेकित रूप (Amalgamated form) में एक ही रोकड़ बही में ''मिश्रित निधि'' (Amalgamated Fund) के नाम से किया जायेगा। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से संस्कृत महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इन निधियों लिये किसी भी प्रकार की रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इसके स्थान पर इन निधियों की आय व्यय का विवरण केवल निधि सन्ग्रहण रजिस्टर में ही रखा गया है। यह एक बहुत ही गम्भीर चूक है तथा रोकड़ बही के अभाव में छात्र निधियों की आय अथवा व्यय का पूर्ण सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–34 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–96 दिनाँक 19–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकरण की विस्तृत पड़ताल करके नियमानुसार अनुपालना सुनिश्चित करते हुये तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(18.5) अनावश्यक रूप से मिश्रित निधि का विभाजन करके छात्र निधियों के लिये 19 अलग–अलग बचत खातों का संचालन करनाः–

गत उप–अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से किसी भी नाम से वसूल की गई निधियों को समामेलित (Amalgamate) करके एक ही खाते में जमा करवाया जायेगा। परन्तु संस्कृत महाविद्यालय द्वारा अनियमित रूप से मिश्रित निधि का विभाजन करके छात्र निधियों के लिए **परिशिष्ट ''9''** में वर्णित उन्नीस बचत खातों का संचालन किया जा रहा है जोकि उक्त नियम की अवहेलना के अतिरिक्त इन बचत खातों को अलग अलग चलाए जाने का स्पष्टतयः कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–34 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–96 दिनाँक 19–05–2023 द्वारा

प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में कार्रवाई नियमानुसार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(18.6) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के बैंक बचत खातों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को प्रेषित किये जाने वाले छात्र शुल्कों की ₹5.03 लाख की राशि शेष होना।

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के अवधि 01/2017 से 12/2021 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आँकड़ों व वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया है कि दिनाँक 31.12.2021 को निम्न तालिका मे ंदिये विवरणानुसार ₹503613/– की राशि बैंक बचत खातों के शेष में ऐसे शुल्कों से सम्बन्धित थी जिन्हें नियमानुसार प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। यह तीन शुल्क जितनी राशि के लिये छात्रों से वसूल किये जाते हैं उस सम्पूर्ण राशि को नियमानुसार हि॰ प्र॰ विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात इनके बैंक खातों का अन्तशेष शून्य होना चाहिये। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–33 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–95 दिनाँक 19–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकरण की विस्तृत पड़ताल की जाये कि यह राशि किस मद से सम्बन्धित है क्योंकि यदि यह वास्तव तालिका में वर्णित तीन शीर्षों से ही सम्बन्धित होती तो सम्बन्धित छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने के कारण यह मामला पहले ही सामने आ चुका होता। पड़ताल उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr	**Name of Fees/Fund**	**Bank**	**Bank A/c No.**	**Balance as on 31-12-2021**
1	Registration Fee	SBI Shri Nainadevi Ji	30679726695	**18804**
2	Sports, Youth Welfare and Holiday Home & Continuation fund	SBI Shri Nainadevi Ji	30679727043	**183912**
3	An amount of ₹2,00,000/- transfeÙed to be invested in Net FDR for ₹20,00,000/- from Ammalgamated Fund on 05-12-2020 from Sports, Youth Welfare and	SBI Shri Nainadevi Ji	39849099187	**200000**

	Holiday Home & Continuation fund			
4	Migration & Annual Examination fund	SBI Shri Nainadevi Ji	30679726877	**100897**
	Total			**503613**

(18.7) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के सम्बद्धता शुल्क के ऊपर ₹0.74 लाख के विलम्ब शुल्क के भुगतान बारे।

मन्दिर न्यास के अवधि 01/2017 से 12/2021 के व्यय वाउचरों की पड़ताल में पाया गया कि दिनाँक 06.04.2021 को रोकड़ बही पृष्ठ 82 पर वाउचर संख्या 170 द्वारा ₹74,000/– का भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय के सम्बद्धता शुल्क के ऊपर विलम्ब शुल्क के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पक्ष में दर्ज किया गया है। इस वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि इस भुगतान की व्यय/प्रशासनिक स्वीकृति आयुक्त मन्दिर न्यास के स्वीकृति आदेश संख्याः TTND-Affiliation Fee (Sanskrit College-2020)- 93 दिनाँक 05.04.2021 द्वारा प्राप्त हुई है। इस व्यय स्वीकृति को प्रदान करते समय आयुक्त महोदय ने सम्बन्धित नस्ति में क्रमाँक 341 पर निम्नलिखित टिप्पणी दर्ज की थीः–

"Approved as proposed. However, fix the responsibility of person for non submission of fee in time which lead to late fee deposition".

परन्तु वाउचर के साथ इस टिप्पणी की अनुपालना के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–36 दिनांकः 28/04/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–101 दिनाँक 23–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकरण की विस्तृत जाँच उपरान्त दोष सिद्ध होने पर इस राशि की वसूली नियमानुसार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(18.8) बैंक को ड्राफ्ट शुल्क के रूप में ₹1931 का अनावश्यक/अनियमित भुगतान करना

संस्कृत महाविद्यालय के लेखाओं के अवधि 01/2017 से 12/2021 के अंकेक्षण में पाया गया कि समय–समय पर बैंक ड्राफ्ट बनवाते समय निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री नयनादेवी को ₹1931/– का भुगतान ड्राफ्ट शुल्क के रूप में किया गया है। बैंकों द्वारा संस्थागत ग्राहकों को शुल्क रहित ड्राफ्ट सुविधा के साथ–साथ अब मल्टीसिटी चैक की सुविधा भी दी जाती है। मल्टीसिटी चैक बैंक ड्राफ्ट के समान ही होता है जिसमें भुगतान के

समय किसी प्रकार के कलैक्शन चार्जज़ का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस आधार पर यह व्यय अनियमित होने के साथ–साथ अनावश्यक भी है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–50 दिनांकः 20/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस एम एन डी (संस्कृत महाविद्यालय)/2023–104 दिनाँक 23–05–2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस प्रकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	दिनाँक	बिल संख्या	हि.प्र. विश्वविद्यालय को विविध शुल्कों के भुगतान का विवरण	ड्राफ्ट राशि (₹)	शुल्क राशि (₹)
1	30.11.2018	19	परीक्षा शुल्क का भुगतान	52250	250
2	11.05.2019	5	परीक्षा शुल्क का भुगतान	50200	250
3	19.08.2019	11	सम्बद्धता शुल्क का भुगतान	20100	100
4	04.12.2019	13	विविध शुल्कों का भुगतान	52377	265
5	04.12.2019	14	पंजीकरण शुल्क का भुगतान	5450	50
6	29.01.2020	2	वार्षिक परीक्षा शुल्क का भुगतान	15250	50
7	03.02.2020	3	परीक्षा केन्द्र शुल्क का भुगतान	50250	250
8	27.10.2021	13	विविध शुल्कों का भुगतान	49903	250
9	08.12.2017	31	विविध शुल्कों का भुगतान	61343	310
10	29.12.2017	35	पंजीकरण शुल्क का भुगतान	465	25
11	25.06.2018	15	प्रविवरण का भुगतान	27006	6
12	17.10.2017	27	प्रवेश शुल्क का भुगतान	7970	50
13	09.02.2018	7	वार्षिक परीक्षा शुल्क का भुगतान	14475	75
			कुल योग		**1931**

(18.9) विश्वविद्यालय द्वारा करवाई गई विभिन्न परीक्षाओं के व्यय की ₹898 की राशि प्रतिपूर्ती हेतु शेष

अँकेक्षण में पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत महाविद्यालय परिसर में की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा अवधि 11.10.2017 से 20.11.2017 के बीच आयोजित की गई जिसका ₹35898/– का व्यय प्रतिपूर्ती के आधार पर ***"वार्षिक परीक्षा निधि"*** से अस्थाई तौर पर किया गया था। इस व्यय में से ₹35000/– की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख तो अंकेक्षण

हेतु प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु शेष ₹898/– की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा प्रतिपूर्ति अभी तक शेष है। अतः इस व्यय की प्रतिपूर्ती प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19. मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के छात्र निधियों व शुल्कों के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

(19.1) मिश्रित निधि से किये गये ₹13.74 लाख के निवेश का विवरण

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में पाठशाला के प्रधानाचार्य द्वारा **परिशिष्ट ''29''** पर उपलब्ध करवाई गई विस्तृत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.12.2021 को मिश्रित निधि से सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	**निधि**	**खाता संख्या**	**बैंक**	**निवेषित राषि (₹)**
1	मिश्रित निधि	11530301119	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**572771**
2	मिश्रित निधि	11530301117	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**234143**
3	विज्ञान निधि	11530301119	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**159102**
4	विज्ञान निधि	11530301119	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**78047**
5	स्काउट एवं गाईड निधि	11530301119	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**78047**
6	क्रीड़ा निधि	11530301119	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**156095**
7	क्रीड़ा निधि	11530301401	हि प्र राज्य सह बैंक नैयनादेवी	**95459**
			कुल योग	**1373664**

(19.2) 10+2 के छात्रों से प्रवेश शुल्क की ₹2830/–की वसूली न करना

अवधि 01.01.2017 से 31.12.2021 तक के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण में शुल्क मांग व संग्रह रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार इन पांच वर्षों में 10+2 (कक्षा 12) के छात्रों से प्रवेश शुल्क की वसूली नहीं की गई है।

क्र.स.	माह/अवधि	कक्षा	छात्र सख्या	प्रवेश शुल्क दर (₹)	कम प्राप्त शुल्क
1	2017–2018	10+2	64	10	640
2	2018–2019	10+2	52	10	520
3	2019–2020	10+2	66	10	660

4	2020—2021	10+2	33	10	330
5	2021—2022	10+2	68	10	680
			कुल राशि		**2830**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017—2021/ज्ञापन—47 दिनांकः 19/05/2023 द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर इस ₹2830/— की राशि की वसूली रसीद संख्या 26436 दिनांक 23.05.2023 द्वारा किये जाने बारे मन्दिर अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः एस. एस. एस. एस एस.(स्कूल)/2023—52 दिनाँक 27—05—2023 से अवगत करवाया जिसका सत्यापन अंकेक्षण द्वारा कर लिया गया है।

(19.3) विद्यालय द्वारा निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं से बचने के लिये एक दिन में एक ही फर्म से छः बिल लेकर ₹0.16 लाख का अनियमित व्यय करना

विद्यालय के अंकेक्षणावधि के छात्र निधि लेखाओं की नमूना पड़ताल में निम्न तालिका में वर्णित मिश्रित निधि से किये गये ₹16,284 के व्यय में अनियमितताएँ पाई गई हैंः—

क्रम	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)	क्रय की गई सामग्री का विवरण
1	29.03.2019	632	2891	कम्पयूटर से सम्बधित सामग्री टोनर, कार्टरिज, ड्रम तथा ऐन्टी वायरस आदि।
2	29.03.2019	633	2891	—यथोपरि—
3	29.03.2019	634	2832	—यथोपरि—
4	29.03.2019	636	2832	—यथोपरि—
5	29.03.2019	637	2655	—यथोपरि—
6	29.03.2019	638	2183	—यथोपरि—
	कुल योग		**16284**	

1. उपरोक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा यह व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं से बचने के लिये एक दिन में एक ही फर्म से छः बिल लेकर किया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली—2009 के नियम 97 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है। इस व्यय को करने से पूर्व न तो निविदाएं अमन्त्रित की गई हैं और न ही यह दर संविदा के आधार पर किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया है। नियमों की अवहेलना का औचित्य स्पष्ट करते हुये अब इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी/आयुक्त मन्दिर न्यास से **एकल निविदा के आधार पर की गई खरीद के आधार पर**

<u>विशेष कार्योतर स्वीकृति</u> लेकर नियमित करवाया जाये व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

2. विद्यालय द्वारा खरीदे गये सामान से सम्बन्धित मूल औपचारिकताएँ जैसे सामग्री का मांगपत्र, खरीद का औचित्य, क्रय कमेटी का गठन, क्रय कमेटी का सामग्री निरीक्षण प्रमाण पत्र इत्यादि को पूरा नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट करें तथा वस्तुस्थिति अथवा वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिचित करें।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–48 दिनांकः 19/05/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– एस. एस. एस. एस एस.(स्कूल)/2023–51 दिनाँक 27–05–2023 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस प्रकरण में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20. माननीय न्यायालयों में लम्बित मामले

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–23 दिनांकः 05/04/2023 के प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्या– टी. टी. एन. डी. –ऑडिट –1938 दिनाँक 04–05–2023 द्वारा न्यास श्री नयना देवी जी के कई मामले विभिन्न माननीय न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, जिन्हें **परिशिष्ट ''30''** पर दर्शाया गया है। अतः इन मामलों में निर्णय होने पर तदानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

21. अचल सम्पत्तियों/भवनों का विवरण

अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी/अंकेक्षण 2017–2021/ज्ञापन–22 दिनांकः 05/04/2023 के प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा मन्दिर न्यास की अचल सम्पत्तियों/भवनों का विवरण **परिशिष्ट ''31''** पर दर्शाया गया है।

22. मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की ईंधन औसत खपत का निर्धारण न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री नयनादेवी जी द्वारा वाहनों की औसत ईंधन/तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत ईंधन/तेल की खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी निरीक्षण/टैस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत ईंधन/तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि वास्तविक खपत, निर्धारित औसत खपत से अधिक पाई जाती है तो अधिक तेल खपत की

गणना न्यास अपने स्तर पर करके अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23. स्टॉक का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2022/–261 दिनांकः 14/11/2022 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में स्टोर/स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 तथा 141 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है।
2. मन्दिर न्यास द्वारा स्टोर/स्टॉक का अन्तिम भौतिक सत्यापन कब किया गया था का कोई अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा न्यास के अत्तित्व में आने के पश्चात दिनाँक 17.12.1985 से लेकर 31.12.2021 तक किये गये प्रत्येक अंकेक्षण में इस सन्दर्भ आपति दर्ज की गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन कभी करवाया ही नहीं गया है।
3. हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। मन्दिर न्यास द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें उक्त नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है।
4. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया है।

अतः न्यास द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मन्दिर न्यास प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास कार्यालय के साथ–2 अन्य सम्बन्ध संस्थाओं के स्टॉक का भी प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25. **निष्कर्षः–** लेखाओं के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

(रविन्द्र सिंह कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
दूरभाष नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 186/96–खण्ड–12 दिनांकः शिमला–09
प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2 उपायुक्त बिलासपुर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)
3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09

पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(रविन्द्र सिंह कंवर)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
दूरभाष नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "1"

(पैरा संख्या–1 (ग) में वर्णित)

मन्दिर न्यास श्री सिद्ध नयनादेवी जी जिला बिलासपुर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की अवधि 17.12.1985 से 31.12.2016 तक की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 17.12.1985 से से 31.12.1995

क्र0 सं0	अनुच्छेद संख्या	स्थिति	अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण।	निर्णीत अनुच्छेदों की अनुपालना का संक्षिप्त विवरण।
1	5(ग)(2)	निर्णीत	मन्दिर किवाड़ों पर चढ़ाई गई चान्दी में से 255 ग्राम की वेस्टेज बारे।	मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	5(ग)(3)	निर्णीत	मन्दिर किवाड़ों पर चढ़ाई गई चान्दी के लिये मजदूरी का भुगतान नकद के स्थान पर चान्दी के रूप में करने बारे।	मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा मजदूरी के रूप में दी गई चान्दी की तत्कालीन कीमत देय मजदूरी की तुलना में कम पाये जाने के दृष्टिगत निर्णीत।
3	29(क)	निर्णीत	जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति वेतन का भुगतान करने बारे।	न्यास खाता 1963 में दिनांक 13.03.2006 को ₹2374/–, रसीद संख्या 2231 दिनांक 11.04.2015 से ₹2900/– तथा रसीद संख्या 26488 दिनांक 02.06.2023 से ₹1574/– कुल ₹6848/– की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
4	29(घ)	निर्णीत	कर्मचारियों को भुगतान किये गये मानदेय में से 1/3 भाग की कटौती न करने बारे।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में 1/3 भाग की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख

				का सत्यापन करने तथा मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/1996 से 12/1997 (विशेष अंकेक्षण) तथा 01/1999 से 12/1999 (सामान्य अंकेक्षण)				
1	11	निर्णीत	विदेशी मुद्रा को न्यास खाते में जमा न करवाने बारे।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में इस विदेशी मुद्रा के वर्ष 2020 के बाजार मूल्य के आधार पर ₹5273/– की वसूली करके जमा करवाये जाने की पुष्टि रसीद संख्या 17817 दिनाँक 08.02.2020 से कर ली गई है।
2	174(क)(2)	निर्णीत	जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति वेतन का भुगतान करने बारे।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में ₹1613/– की वसूली करके जमा करवाये जाने की पुष्टि रसीद संख्या 17817 दिनाँक 08.02.2020 से कर ली गई है।
(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2005 से 12/2005				
1	21	निर्णीत	लोक निर्माण विभाग से करवाये गये ₹4 लाख के निक्षेप कार्य के उपयोगिता प्रमाणपत्र का सत्यापन न करवाना।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में उपयोगिता प्रमाणपत्र का सत्यापन कर लिया गया।
(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2006 से 12/2007				
1	29	निर्णीत	जिलाधीश बिलासपुर कार्यालय को नलवाड़ी मेले हेतु जारी	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने

			₹0.1 लाख के अनुदान के उपयोगिता प्रमाणपत्र का सत्यापन न करवाना।	प्रवास में ₹10,000/– की राशि की वसूली किये जाने की पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ 47 पर दिनाँक 15.02.2008 को दर्ज प्रविष्टि से कर ली गई।
(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2009				
1	35	निर्णीत	अचल सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न करने बारे।	अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2010 से 12/2011				
1	5(ख)	निर्णीत	बैंक द्वारा सावधि निवेश की परिपक्वता राशि में से ₹73659/– की कटौती करना।	मन्दिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटैन्ट के माध्यम से अपनी आयकर रिटर्न भरी जाती है। जिसके आधार पर जितनी अधिक आयकर कटौती की गई होती है उसका रिफन्ड आयकर विभाग द्वारा नियमानुसार मन्दिर न्यास को दे दिया जाता है। संलग्न सटिप्पण उत्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेख से ₹73659/– के रिफन्ड का सत्यापन कर लिया गया।
2	21	निर्णीत	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करने बारे।	मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण तथा भाषा एवँ संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010 दिनाँक 26.12.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर इस प्रकार के व्यय को न

				करने बारे वर्तमान में की जा रही अनुपालना के आधार पर निर्णीत।
3	28 (घ)	निर्णीत	पुराने टैम्पो की नीलामी के विज्ञापन का व्यय लंगर व्यय में के शीर्ष के अन्तर्गत लेखाँकित करना।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
4	28(छ)	निर्णीत	प्रत्यक्ष सत्यापन।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2012 से 12/2013				
1	8	निर्णीत	फटे पुराने/कन्डम मुद्रा/नोटों को बदलवाने पर ₹27745/- की हानि।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
2	9	निर्णीत	बैंक द्वारा सावधि निवेश की परिपक्वता राशि में से ₹296437/- की कटौती करना।	मन्दिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटैन्ट के माध्यम से अपनी आयकर रिटर्न भरी जाती है। जिसके आधार पर जितनी अधिक आयकर कटौती की गई होती है उसका रिफन्ड आयकर विभाग द्वारा नियमानुसार मन्दिर न्यास को दे दिया जाता है। संलग्न सटिप्पण उत्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेख से ₹296437/- के रिफन्ड का सत्यापन कर लिया गया।
3	10	निर्णीत	कम दर पर निवेश करने के	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा

			कारण ब्याज की ₹3.40 लाख की हानि।	दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
4	12	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना।	इस सामग्री के लेखाँकन का स्टॉक रजिस्टरों से सत्यापन कर लिया गया।
5	14 (क)	निर्णीत	रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताएँ।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में खाली बची रसीदों को रद्द किये जाने के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
6	14 (ख)	निर्णीत	रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताएँ।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में इन रसीद बुकों का प्रयोग किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
7	14 (ग)	निर्णीत	₹340/– की आय को जमा न करवाने बारे।	₹340/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 26593 दिनाँक 16.05.2023 द्वारा किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
8	14 (घ)	निर्णीत	रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताएँ।	इन रसीदों से प्राप्त सामग्री का मिलान कर लिया गया।
9	14 (ङ)	निर्णीत	रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताएँ।	₹250/– की वसूली की पुष्टि रसीद संख्या 26592 दिनाँक 16.05.2023 द्वारा किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
10	15	अंशतः निर्णीत	मातृछाया भवन के किराये की ₹811200/– की वसूली न करने बारे।	इस प्रकरण में ₹4,00,000/– की वसूली (₹3,05,900/– के चैक संख्या

				700961 दिनांक 25.12.2018 + ₹50,000/– की प्रतिभूति राशि का समायोजन + श्री शीशपाल के पक्ष में मन्दिर न्यास द्वारा देय ₹44,100/– की राशि के समायोजन) किये जाने का सत्यापन प्रस्तुत मूल अभिलेख से कर लिया गया। परन्तु शेष ₹411200/– तथा इस राशि के ऊपर ब्याज की वसूली बारे मन्दिर न्यास द्वारा कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है।
11	16	निर्णीत	दुकानों के किराये की ₹3.77 लाख की वसूली न करने बारे।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	20	अनिर्णीत	कर्मचारी भविष्य निधि में ₹2379160/– के नियोक्ता अंशदान का अधिक भुगतान करना।	
13	21	अनिर्णीत	कर्मचारीयों को ₹792880/– के मेला भत्ता का अनियमित भुगतान करना।	
14	22	निर्णीत	जिलाधीश बिलासपुर कार्यालय को ₹120405/– के ऋण की वसूली न करना।	रोकड़ बही पृष्ठ 93 दिनांक 30.03.2020 द्वारा ₹120000/– की तथा रसीद संख्या 19537 दिनांक 08.03.2021 द्वारा ₹405/– (कुल ₹120405/–) की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।

15	23	अनिर्णीत	मेला प्रबन्धन व्यय को प्रशासनिक व्यय के रूप में आय में से न घटाकर पुजारी हिस्से की अधिक गणना करके ₹4926526 / — का अधिक भुगतान।	
16	31	निर्णीत	बिजली बिलों में अधिक भुगतान करना।	इस भुगतान में मन्दिर न्यास को विद्युत बोर्ड द्वारा वास्तविक खपत की तुलना में कम यूनिट के लिये बिल जारी करने के कारण मन्दिर न्यास द्वारा कम भुगतान किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि अभिलेख से कर ली गई है।
17	32	निर्णीत	वाहन की मुरम्मत व्यय ₹11250 / — में पाई गई अनियतिता।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
18	36 (क)	निर्णीत	श्रीमति प्रेमलता पुस्तकालय लिपिक को अनुचित वेतनवृद्धि देकर ₹18834 / — का अधिक भुगतान।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्रीमति प्रेमलता के ACPS/वेतन बकाया वाउचर संख्या 95 दिनांक 18.08.2018 में ₹18834 / — का समायोजन करके की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
19	36 (ख)	निर्णीत	संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक वर्ग को जारी यू. जी. सी. वेतनमान से सम्बन्धित विसंगतियाँ।	मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 28. 10.2016 को हुई बैठक में एजैन्डा क्रमाँक 25 के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय के आधार पर जिलाधीश बिलासपुर एवँ आयुक्त मन्दिर न्यास की

				स्वीकृति के आधार पर अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या TTND-Sanskrit College-136 to 145 दिनाँक 18.05.2017 द्वारा संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक वर्ग को जारी यू. जी. सी. वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
20	36 (ग)	निर्णीत	₹4332/— का अनियमित व्यय।	मन्दिर अधिकारी द्वारा दिनाँक 01.07.2017 को प्रदान की गई कार्योत्तर व्यय स्वीकृति के आधार पर निर्णीत।
21	36 (घ)	निर्णीत	₹1920/— कम जमा करवाना।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में ₹1920/— की वसूली करके मिश्रित निधि के श्री नयनादेवी जी भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 30678633789 में दिनाँक 19.05.2023 को जमा करवाये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
22	36 (ङ)	निर्णीत	उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण ब्याज की सम्भावित हानि।	दिनाँक 12.05.2020 को ₹20,00,000/— भारतीय स्टेट बैंक के सवधि जमा खाता संख्या 39849099187 में निवेशित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।

23	37 (ख)	निर्णीत	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्वारा भवन निधि को न्यास निधि में जमा न करवाना।	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2014 से 12/2016				
1	1 व 2	समाप्त	सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2	3	निर्णीत	अँकेक्षण शुल्क।	भुगतान का सत्यापन कर लिया गया।
3	4 (क)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	4 (ख)	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	स्वतः निर्णीत।
5	4 (ग)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	4 (घ)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की वित्तीय स्थिति।	स्वतः निर्णीत।
7	5 (क)	निर्णीत	सोने की अन्तशेष मात्रा का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	5 (ख)	निर्णीत	एक ग्राम सोने का लेखाँकन स्टॉक रजिस्टर में न करने बारे।	इस एक ग्राम सोने का लेखाँकन स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 38 पर दिनाँक 13.10. 2019 को किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
9	6 (क)	निर्णीत	चान्दी की अन्तशेष मात्रा का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
10	6 (ख)	निर्णीत	2.091.100 किलोग्राम चान्दी का लेखाँकन स्टॉक रजिस्टर में न करने बारे।	इस 2.091.100 किलोग्राम चान्दी का लेखाँकन स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 137 पर दिनाँक 13.10.2019 को किये

				जाने का सत्यापन कर लिया गया।
11	7	निर्णीत	गिल्ट की अन्तशेष मात्रा का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	8	निर्णीत	फटे पुराने/कन्डम मुद्रा/नोटों का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	9	निर्णीत	विदेशी मुद्रा की राशि को बैंक में कम जमा करवाना।	इस अनुच्छेद में वर्णित विदेशी मुद्रा की 19.12.2019 की विनिमय दर के आधार पर गणना की गई ₹8811/– की वसूली योग्य राशि की वसूली रसीद संख्या 16723 से 16728 दिनाँक 19.12.2019 द्वारा किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
14	10	निर्णीत	आय प्राप्ति के लिये उपयोग की गई रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना।	मूल रसीदों से प्राप्त आय व उसके लेखाँकन का सत्यापन कर लिया गया।
15	11	निर्णीत	निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	12	निर्णीत	सावधि निवेश राशियों की परिपक्वता पर ब्याज में से बैंकों द्वारा ₹61.97 लाख की स्त्रोत पर आयकर की कटौती की वसूली न किये जाने बारे।	मन्दिर न्यास द्वारा प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउटैन्ट के माध्यम से अपनी आयकर रिटर्न भरी जाती है। जिसके आधार पर जितनी अधिक आयकर कटौती की गई होती है उसका रिफन्ड आयकर विभाग द्वारा नियमानुसार मन्दिर न्यास को दे दिया जाता है। संलग्न

				सटिप्पण उत्तर पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेख से ₹6197274/– के रिफन्ड का सत्यापन कर लिया गया।
17	13 (क)	अनिर्णीत	दिनाँक 01.10.2013 से 30.06. 2014 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1394662.50 का अधिक एवं गलत भुगतान।	
18	13 (ख)	अनिर्णीत	दिनाँक 01.07.2014 से 30.06. 2015 तक की अवधि हेतु पुजारी शेयर के रूप में ₹1249954 का अधिक एवं गलत भुगतान।	
19	14	अनिर्णीत	कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹9.37 लाख का अधिक भुगतान।	
20	15 (क, ख)	निर्णीत	₹690 की राशि की राशि का दुरूपयोग करने बारे।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में ₹690 की राशि की वसूली रसीद संख्या 17812 दिनांक 06.02.2020 द्वारा किये जाने की पुष्टि कर ली गई है।
21	16	निर्णीत	अग्रिमों का समायोजन न करने बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
22	17	अनिर्णीत	भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बिना अनियमित पदोन्नतियां	

			करना।	
23	18	अनिर्णीत	सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक कर्मचरियों को चतुर्थ श्रेणी से तृतिया श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदोन्नत करना	
24	19	निर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹4.10 लाख का अधिक भुगतान।	₹409930/– की वसूली दिनांक 23.05.2018 के वाउचर संख्या 340, 341, 343 तथा 352 द्वारा भुगतान किये गये वेतन बकाया में से समायोजित करके किये जाने की पुष्टि कर ली गई।
25	20	निर्णीत	श्री राजेन्द्र कुमार चपरासी के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹1.36 लाख का अधिक भुगतान।	श्री राजेन्द्र कुमार चपरासी से माह 12/2018 से लेकर 09/2021 तक के वेतन से 32 किश्तों में वसूली योग्य कुल वास्तविक राशि ₹123421/– .की वसूली का सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया
26	21	निर्णीत	कनिष्ठ अभियन्ताओं के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹3. 83 लाख का अधिक भुगतान।	श्री प्रेम चन्द शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता से माह 11/2018 से लेकर 03/2022 तक के वेतन से 64 किश्तों में वसूली योग्य कुल वास्तविक राशि ₹199356/– तथा श्री सुनील शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता से माह 12/2018 से लेकर 08/2022 तक के वेतन से 45 किश्तों में वसूली योग्य

				कुल वास्तविक राशि ₹113732/– .की वसूली का सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया
27	22	निर्णीत	श्री अरविन्द शोरी वरिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्री अरविन्द शोरी की नियुक्ति दिनांक 05.09.1996 से किये गये वेतन पुनर्निधारण के वेतन बकाया वाउचर संख्या 191 दिनांक 08.04.2019 में ₹39419/– का समायोजन करके की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
28	23	निर्णीत	श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण ₹0.40 लाख का अधिक भुगतान	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्री वीरेन्द्र सिंह की नियुक्ति दिनांक 01.01.1996 से किये गये वेतन पुनर्निधारण के वेतन बकाया वाउचर संख्या 190 दिनांक 08.04.2019 में ₹39958/– का समायोजन करके की गई वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
29	24	निर्णीत	श्री केवल कृष्ण लिपिक के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्री केवल कृष्ण लिपिक से माह 11/2019 से लेकर 06/2020 तक के वेतन से 10 किश्तों में राशि ₹50047/– की वसूली का

				सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया
30	25	निर्णीत	श्री केवल कृष्ण लिपिक के अवैतनिक अवकाश के गलत समायोजन के कारण अनुचित वेतनवृद्धि दिये जाने बारे।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा की गई अनुपालना के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
31	26	निर्णीत	श्री अजीत कुमार नौबती के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.50 लाख का अधिक भुगतान।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्री अजीत कुमार नौबती से माह 12/2018 से लेकर 05/2020 तक के वेतन से 18 किश्तों में वसूली योग्य कुल वास्तविक राशि ₹45706/– .की वसूली का सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया।
32	27	निर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹0.25 लाख का अधिक भुगतान।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में ₹25449/– की वसूली दिनांक 23.05.2018 के वाउचर संख्या 340, 341, 343 तथा 352 द्वारा भुगतान किये गये वेतन बकाया में से समायोजित करके किये जाने की पुष्टि कर ली गई।
33	28	निर्णीत	श्री परमानन्द, ड्राफ्टसमैन के गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में श्री परमानन्द, ड्राफ्टसमैन से माह 07/2018

				से लेकर 11/2018 तक के वेतन से 5 किश्तों में ₹23958/— .की वसूली का सत्यापन अभिलेख से कर लिया गया।
34	29	निर्णीत	मन्दिर न्यास कर्मचारियों के अवकाश खातों के अनुरक्षण में पाई गई त्रुटियां।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
35	30 (क)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना।	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में इस सामग्री के लेखाँकन का स्टॉक रजिस्टरों से सत्यापन कर लिया गया।
36	30 (ख)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना।	इस सामग्री के लेखाँकन का स्टॉक रजिस्टरों से सत्यापन कर लिया गया।
37	30 (ग)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना।	इस सामग्री के लेखाँकन का स्टॉक रजिस्टरों से सत्यापन कर लिया गया।
38	31	निर्णीत	मन्दिर द्वारा ₹0.60 लाख के सामान को क्रय से पूर्व आवश्यक व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करना तथा क्रय सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद न होना।	कृत अनुपालना का मूल अभिलेख से सत्यापन कर लिया गया।

39	32	निर्णीत	बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर कार्यालय को ₹1,17,400 का अनियमित हस्तांतरण	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी. डी. पी. ओ.) बिलासपुर कार्यालय द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर निर्णीत।
40	33	अनिर्णीत	छः क्विंटल गिलट की नीलामी में पाई गई अनियमितताएँ	
41	34	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों की निविदाएँ स्वीकार करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युल भाग–2 (CPWD Manual Vol. 2) के प्रावधानों के विरूद्ध असामान्य रूप से ऊँची/नीची दरों पर कार्य आबन्टित करना	
42	35	निर्णीत	विभिन्न निर्माण कार्यों में मापन पुस्तिका में गलत गणना दर्ज होने के कारण ठेकेदारों को ₹2025 का अधिक भुगतान	उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 30.05.2023 के अपने प्रवास में दिनांक 20.05.2023 की रसीद संख्या 26421 से ₹1180/– तथा 26422 से ₹845/– कुल ₹2025/– की वसूली किये जाने का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया है।
43	36	निर्णीत	माप पुस्तिका)Measurement Book (अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	कृत अनुपालना का मूल अभिलेख से सत्यापन कर लिया गया।

44	37	निर्णीत	एस. एम. बी. (Standard Measurement Book) का निर्माण न करने बारे	मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णीत।
45	38	निर्णीत	दूध की खरीद मे गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार खराब गुणवत्ता के लिए पूरी कटौती न करके ₹0.35 लाख का अधिक किया गया भुगतान	अंकेक्षणोपरान्त उपलब्ध करवाई सूचना व अभिलेख से दूध विक्रेता श्री बन्तराम से ₹26404/– तथा श्री परसराम से ₹8227/– कुल ₹34631/– की वसूली की पुष्टि व्यय वाउचर संख्या 69 व 70 दिनांक 07.06.2023 से कर ली गई।
46	39 (क)	निर्णीत	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित दुकान से सम्बन्धित अनियमितताएं – ₹7600/– का दुर्विनियोजन।	कृत अनुपालना तथा सामग्री के लेखाँकन का सत्यापन स्टॉक रजिस्टर से कर लिया गया।
47	39 (ख)	निर्णीत	50 किलोग्राम चीनी का कम लेखांकन करना।	तत्कालीन बाजार दर ₹36/– प्रति किलोग्राम से 50 किलोग्राम चीनी की लागत ₹1800/– की वसूली करके दुकान के बैंक खाता संख्या 11530527588 में दिनाँक 27.01.2020 को जमा करवाये जाने की पुष्टि कर ली गई।
48	39 (ग)	निर्णीत	105 किलोग्राम बेसन का कम लेखांकन करना।	तत्कालीन बाजार दर ₹44.80/– प्रति किलोग्राम से 105 किलोग्राम बेसन की लागत ₹4704/– की वसूली करके दुकान के बैंक खाता संख्या 11530527588 में

				दिनाँक 27.01.2020 को जमा करवाये जाने की पुष्टि कर ली गई।
49	40 (1)	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय के लेखाओं एवं वित्तीय स्थिति बारे अंकेक्षण टिप्पणियां – रोकड़ बही व बैंक जमा के दिनांक 31.12. 2016 के अन्त शेष में ₹17061 का अन्तर	
50	40 (2)	निर्णीत	सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि	दिनाँक 12.05.2020 को ₹20,00,000/– भारतीय स्टेट बैंक के सवधि जमा खाता संख्या 39849099187 में निवेशित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
51	41	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, संस्कृत महाविद्यालय से ₹2.24 लाख का अनियमित भुगतान।	
52	42 (1)	निर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लेखाओं एवं वित्तीय स्थिति बारे अंकेक्षण टिप्पणियां – रोकड़ बही में मन्दिर न्यास को हस्तांतरित शुल्कों का अन्त शेष दर्शाए जाने बारे	कृत अनुपालना का सत्यापन दिनाँक 17.05.2023 को रोकड़ बही पृष्ठ 48 पर किये जाने का सत्यापन कर लिया गया है।
53	42 (2)	निर्णीत	भवन निधि के ₹6,92,781 के सावधि निवेश को न्यास के	दिनाँक 10.08.2017 को बैंक खाते में उपलब्ध अन्तशेष

			मुख्य खाते में हस्तांतरित न किए जाने बारे	₹891622/– को मन्दिर न्यास के हि.प्र.रा. सह. बैंक नयनादेवी जी के बैंक खाता संख्या 1 में अन्तरित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
54	42 (3)	निर्णीत	रैड क्रॉस निधि के ₹2,16,717 के सावधि निवेश को न्यास के मुख्य खाते में हस्तांतरित न किए जाने बारे	दिनाँक 01.07.2019 को बैंक खाते में उपलब्ध अन्तशेष ₹258504/– को मिश्रित निधि में अन्तरित किये जाने का सत्यापन कर लिया गया।
55	42 (4)	निर्णीत	पत्रिका निधि के अन्त शेष में ₹353 के अन्तर का पाया जाना	फ्लैक्सी सावधि निवेश पर प्राप्त ब्याज का लेखाँकन न किये जाने के कारण उत्पन्न इस अन्तर का मिलान व सत्यापन कर लिया गया।
56	43	अनिर्णीत	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित श्री शक्ति, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में परीक्षा निधि तथा पत्रिका निधि से किये गये व्यय में अनियमितताएं	
57	44	निर्णीत	औसत तेल खापत का निर्धारण न करने बारे।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
58	45	निर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
59	46 व 47	समाप्त	सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अनुच्छेदों/उप अनुच्छेदों का प्रारम्भिक शेष	**95**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए अनुच्छेद/उप अनुच्छेद	**88**
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए अनुच्छेद/उप अनुच्छेद	**79**
दिनांक 31.12.2021 को बकाया अनिर्णीत अनुच्छेद	**105**